आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

(भारत सरकार का उद्यम)

दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने

के लिए

बोली दस्तावेज

जनवरी **2010**

विषय-सूची

1

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोली आमंत्रण पत्र	
2.	बोली प्रस्ताव पत्रक (खंड-I)	
3.	संविदा की सामान्य शर्तें (खंड-II)	
4.	तकनीकी विनिर्देश (खंड-III)	

बोली आमंत्रण

संदर्भ : आरईसीटीपीसीएल/ कृष्णापट्टनम/टीसी/2009:10 दिनांक : 06.01.2010

विषयः दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुरोध।

विद्युत मंत्रालय ने भारत में बड़ी विद्युत ट्रंसमिशन परियोजनाओं के विकास की स्कीम आरंभ की है। इसका उद्देश्य भारत में बड़ी क्षमता वाली ट्रंसमिशन परियोजनाओं का विकास करना और ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिए प्राइवेट भागीदारों सहित संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है। इस कार्य के लिए इस शेल कंपनी का गठन किया गया है, और इसका नाम आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "स्वामी ' कहा जाएगा) की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है।

आपको उपर्युक्त पैकेज के संबंध में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाता कोई फर्म या लिमिटेड कंपनी हो सकती है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, कृपया आपके द्वारा पहले किए गए इसी प्रकार के कार्य का विवरण प्रस्तुत करें।

1.0 आपके कोटेशन प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है

1. बोली प्रस्ताव प्रपत्र **(खंड-I)**
2. संविदा की शर्तें **(खंड-II)**
3. आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग करके सर्वेक्षण करने के लिए दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए के लिए तकनीकी विनिर्देश **(खंड-III)**।

2.0 आपको जारी इस पत्र सहित उपर्युक्त सभी दस्तावेज, टेंडर दस्तावेजों के भाग होंगे। उपर्युक्त प्रत्येक दस्तावेज और इस टेंडर की अपेक्षा के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों को आपकी स्वीकृति के प्रमाण के रूप में विधिवत् मुहर लगाकर आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाएगा। यह आपकी बोली होगी। यह बोली मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी और उस पर पैकेज का नाम, निर्धारित तारीख एवं समय, बोलीदाताओं का नाम और पता लिखा जाएगा।

2.1 **बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख और समय :** दिनांक 28.01.2010, **11.00 बजे** अर्थात उपर्युक्त तारीख और समय के अंदर आपकी बोली (कोटेशन), आरईसी ट्रंसमिशन

प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, पालिका भवन, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, **नई दिल्ली-110066** में अवश्य पहुंच जानी चाहिए। विलंब से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि डाक में हुए विलंब और/ या किसी भी अन्य कारण से बोली विलंब से प्राप्त होगी, तो स्वामी इसके लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई बोली और उससे संबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं या अंशतः प्राप्त नहीं होते हैं या अंशतः प्राप्त होते हैं, तो भी स्वामी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2.2 बोलीदाता कृपया नोट करें कि सफल बोलीदाता पर उपर्युक्त ट्रंसमिशन प्रणाली के लिए ट्रंसमिशन सेवा प्रदाता के रूप में विकासकर्ता के चयन की मुख्य बोली के संबंध में बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

3. टेंडर तीन (3) लिफाफों में नीचे दिए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे

<u>लिफाफा- I</u>

(क) इस मुहरबंद लिफाफा-I के ऊपर "दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए **अग्रिम धन जमा** " लिखा जाएगा और इसमें संविदा की शर्तों (खंड-II) के खंड संख्या 5.0 के अनुसार अग्रिम धन जमा (ईएमडी) रखा जाएगा।

(ख) बोलीदाता कृपया यह नोट करें कि ईएमडी के सिवाय कोई अन्य दस्तावेज लिफाफा-I में न रखा जाए।

<u>लिफाफा- II</u>

(क) इस मुहरबंद लिफाफा-II के ऊपर "**तकनीकी प्रस्ताव :** दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य" लिखा जाएगा और इसमें "बोलीदाताओं के लिए अर्हक" अपेक्षा के अनुसार बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अर्हक अपेक्षा पूरी करने के समर्थन में दस्तावेज़ रखे जाएंगे।

(ख) बोलीदाता कृपया यह नोट करें कि कीमत संबंधी बोली इस लिफाफा-II में न रखी जाए, लेकिन अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करने से संबंधित/ के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज इस लिफाफा-II में रखा जा सकता है।

<u>लिफाफा- III</u>

(क) इस मुहरबंद लिफाफा-III के ऊपर "**वित्तीय प्रस्ताव :** दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कीमत संबंधी बोली" लिखा जाएगा और विनिर्दिष्ट स्थानों में संगत विवरण/डेटा/दर/ रकम आदि विधिवत् भरने के बाद कीमत संबंधी बोली रखी जाएगी।

उपर्युक्त सभी मुहरबंद लिफाफे फिर एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।

3.0 अग्रिम धन जमा (लिफाफा-I) और तकनीकी बोली संबंधी लिफाफा (लिफाफा-II) दिनांक 28.01.2010 को 11.00 बजे खोला जाएगा। इसके बाद, आरईसी टीपीसीएल, अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करने के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन करेगा और इन दस्तावेजों के आधार पर बोलीदाताओं की अर्हता के संबंध में निर्णय लेगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अति सावधानी बरतें कि सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उसके पश्चात उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (लिफाफा-III) उपयुक्त तारीख को खोली जाएगी, जिन्हें मूल्यांकन के बाद अर्हक पाया जाता है। इसकी सूचना केवल अर्हक बोलीदाताओं को दी जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (लिफाफा-III) नहीं खोली जाएगी और ईएमडी (लिफाफा-I) सहित बिना खोले लौटा दी जाएगी, जो अर्हता प्राप्त न कर सके हों।

3.0 **संविदा निष्पादन गारंटी (सीपीजी) :** कार्य अवार्ड किए जाने पर, सफल बोलीदाता (परामर्शदाता) को स्वामी से अवार्ड पत्र प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर संविदा प्रतिफल के दस (10) प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी (पीपीजी) प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी। सीपीजी/ बीजी **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न प्रोफार्म के अनुसार होनी चाहिए और इसे अंतिम रिपोर्ट (बैंक योग्य) को स्वामी की स्वीकृति की तारीख से नौ महीने तक विधिमान्य रखा जाना चाहिए।

4.0 कीमत के प्रस्ताव का आधार : प्रस्तावित कीमत फार्म वित्त-I के अनुसार अध्ययन के लिए होगा और संविदा की पूरी अवधि में उतनी ही निश्चित रहेगी। कोट की गई कीमत एकमुश्त आधार पर होगी, जिसमें सभी कर और शुल्क (सेवा कर से भिन्न), सभी यात्रा, किराया, अन्य जेब खर्चे, दस्तावेज आदि तैयार करने की लागत भी शामिल है और आरईसीटीपीसीएल कोट की गई कीमत के सिवाय कोई अदायगी और/या प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। प्रचलित दर पर सेवा कर (वर्तमान में 10.3 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त रूप से अदा किया जाएगा। कानून के अनुसार स्वामी द्वारा स्रोतों पर आयकर काटा जाएगा और स्वामी द्वारा परामर्शदाता को स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, निकासी/ लाइसेंस/ परमिट प्राप्त करने के लिए राज्य/ केंद्र सरकार या किसी सरकारी निकाय को अदा की जाने वाली कानूनी/ लाइसेंस फीस आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित एजेंसी को सीधे अदा की जाएगी।

5.0 **समय तालिका/ समापन अवधः** यह कार्य तकनीकी विनिर्देशों (खंड-III) में दी गई तालिका के अनुसार पूरा किया जाएगा।

6.0 **अदायगी की शर्तें**

6.1 संविदा मूल्य का चालीस (40) प्रतिशत मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत किए और स्वीकार किए जाने के बाद अदा किया जाएगा।

6.2 संविदा मूल्य का चालीस (40) प्रतिशत अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत किए और स्वीकार किए जाने के बाद अदा किया जाएगा। इसमें तकनीकी विनिर्देशों (खंड-III) में उल्लिखित सभी कार्य स्वामी की संतुष्टि के अनुसार करना शामिल है।

6.3 संविदा मूल्य का बीस (20) प्रतिशत आरईसीटीपीसीएल द्वारा सफल विकासकर्ताओं के साथ ट्रंसमिशन प्रणाली और ट्रंसमिशन सेवा करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सफल विकासकर्ता को आशयपत्र जारी करने के बाद अदा किया जाएगा।

7.0 **मूल्यांकन का आधार :** बोलियों का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर किया जाएगा और ये मानदंड (बोली आमंत्रण के **अनुबंध-I** के अनुसार) और सेवा कर सहित कोट की गई कुल कीमत पर आधारित होगा।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे पिछले अनुभव और इस करार के लिए तैनात की जाने वाली जनशक्ति का विवरण प्रस्तुत करें। यदि यह सूचना वांछित फार्मेट में नहीं दी जाती है और बोली में अन्यत्र दी जाती है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.0 **औपचारिक संविदा करार पर हस्ताक्षर करना :** अवार्ड किए जाने पर सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) की तारीख से लगभग सात (7) दिन के अंदर या स्वामी द्वारा बढाई गई अवधि के अंदर स्वामी के साथ संविदा करार **(अनुबंध-2** में दिए गए प्रोफार्मा में) निष्पादित करना होगा। स्वामी इस संविदा करार का प्रोफार्मा मुहैया कराएगा।

9.0 **बोली की विधिमान्यता :** कृपया अपनी बोली/ कोटेशन को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से एक सौ बीस (120) दिन तक विधिमान्य रखें।

10.0 संविदा की शर्तों के खंड संख्या 50 के अनुसार बोली के साथ भारतीय 25,000/- रुपए (केवल भारतीय पच्चीस हजार रुपए) की रकम की बैंक गारंटी लगाई जाएगी।

11.0 परामर्शदाता यथा अपेक्षित सभी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसके संबंध में राज्य/ केंद्र सरकार या किसी सरकारी निकाय को अदा की जाने वाली कोई कानूनी/लाइसेंस फीस आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित एजेंसियों को सीधे अदा की जाएगी।

12.0 अपेक्षित कार्य

12.1 परामर्शदाता पारस्परिक रूप से तय किए गए फार्मेट के अनुसार प्रत्येक सप्ताह सभी निर्माण कार्यों/ अध्ययनों/सर्वेक्षणों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12.2 परामर्शदाता अपेक्षित योजना और आरेख सहित रिपोर्ट के प्रारूप की तीन (3) प्रतियां अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेगा।

12.3 परामर्शदाता अपेक्षित योजना और आरेखों सहित अंतिम रिपोर्ट (उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट आउट) की दस (10) प्रतियां अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेगा। अंतिम रिपोर्ट मसौदा, रिपोर्ट पर आरईसीटीपीसीएल की टिप्पणियां प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। अंतिम रिपोर्ट और आरेख (हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों में) में विनिर्देशों के अनुसार अंतिम रूट के चुने हुए बिंदुओं के जीपीएस समन्वयक को भी शामिल किया जाएगा।

12.4 अंतिम रिपोर्ट और आरेखों के साथ उनकी पंद्रह (15) सॉफ्ट कापी (सीडी) भी प्रस्तुत की जाएंगी।

12.5 सभी अध्ययनों/ रिपोर्टों/ सर्वेक्षणों के सभी कच्चे आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

12.6 सभी रिपोर्टें ए4 आकार के पन्नों में सही प्रकार से जिल्दबंद करके और छपाई करके प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें अच्छी गुणवत्ता के कागज और सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।

12.7 परामर्शदाता समुचित रूट अलाइनमेंट के चयन के प्रयोजन के लिए जीआईएस और तीन आयाम विशेषता वाले आयानी पर्सपेक्टिव का वेक्टर मैप तैयार करने हेतु प्रयोग के लिए प्रस्तावित लाइसेंस सहित इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देगा।

12.9 यदि अनापत्ति या किसी अन्य प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय भाषा में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित हो, तो इसकी जिम्मेदारी भी परामर्शदाता की होगी।

12.10 तकनीकी विशिष्टियों (खंड III) में निर्धारित कार्य के क्षेत्र के अनुसार कोई अन्य कार्य।

भवदीय,

हस्ता./-

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृते आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

संलग्नक : यथोपरि

बोली आमंत्रण का संलग्नक- I

तकनीकी अनुभव

1.0 बोलीदाता की अर्हता, बोलीदाता के तकनीकी अनुभव के बारे में नीचे दिए गए न्यूनतम मानदंड को पूरा करने पर आधारित होगी

बोलीदाता ने मुख्य ठेकेदार के रूप में दूर संवेदी तकनीकों (सैटेलाइट इमेजरी), डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोफाइल और कम से कम 115 किलोमीटर की उत्कृष्ट ट्रांसमिशन लाइन (एकल संविदा के अधीन) पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूरी की हो।

2.0 बोलीदाता बोलियों (लिफाफा-II) के साथ कार्य के संबंध में अपनी अर्हता के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः

समापन प्रमाण-पत्र, जिसमें अर्हक कार्य (कार्यों) की पूरा किए जाने की पूरी रकम और वर्ष का उल्लेख हो।

अथवा

अर्हक कार्य (कार्यों) के संबंध में निष्पादित मात्रा के मूल्य के समर्थन में ग्राहक द्वारा अदायगी के लिए स्वीकार किए गए बिल की एक प्रति।

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

उपर्युक्त के अलावा, बोलीदाता उस संविदा के लेटर ऑफ अवार्ड/ संविदा करार की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा, जिसको पूरा करने के प्रमाण-पत्र हैं/ अपनी अर्हता के संबंध में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उन बिलों की प्रतियां, जिन्हें ग्राहक ने स्वीकार किया हो।

आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर **765** केवी सिंगल सर्किट लाइन-**1** को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए

सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने हेतु

बोली प्रस्ताव प्रपत्र

खंड-I

तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण फार्म

बोलीदाता का नाम और पता

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, पालिका भवन,
सेक्टर-13, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066

ध्यानार्थ : श्री वी.के. सिंह

प्रिय महोदय,

हम, नीचे दिए गए अनुसार, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं पैकेज का प्रस्ताव एतद्द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं

1. **तकनीकी फार्म-1** के अनुसार कंपनी/ संस्थान का संगठनात्मक ढांचा
2. **तकनीकी फार्म-2** के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले सफलतापूर्वक पूरा किए गए कार्य के प्रमाण-पत्र सहित पहले पूरे किए गए काम ।
3. **तकनीकी फार्म-3** के अनुसार नियोजित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना टीम (जो कंपनी में स्थायी आधार पर कार्य करते हों) का नाम और अनुभव
4. कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पूरा करने के लिए काम के इस्तेमाल किए जाने वाले उपस्करों/ उपकरणों का विवरण (**तकनीकी फार्म-4** के अनुसार)
5. वर्तमान में चल रहे कार्य का विवरण (**तकनीकी फार्म-5** के अनुसार)

प्रस्ताव के साथ निम्न विवरण भी प्रस्तुत किए जाने है

(i) तरीके और तकनीकी कार्यविधि
(ii) मानीटरिंग उपस्कर, यदि कोई हो
(iii) मुख्य और अन्य कार्मिकों का स्तर और कार्य
(iv) कोई अन्य संगत सूचना

टिप्पणी यदि फार्मेट के अनुसार विवरण नहीं दिए जाएंगे, तो इसे समझा जाएगा कि जवाब नहीं मिला और बोली का मूल्यांकन करने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तकनीकी फार्म-**1**

बोलीदाता का संगठन

(कृपया यहां पर अपनी फर्म/ एंटिटि की पृष्ठभूमि और संगठन का संक्षिप्त विवरण दें।**)**

तकनीकी फार्म-2

बोलीदाता द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए कार्य का विवरण

बोलीदाता के अनुभव का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ग्राहक का नाम	कार्य की लागत	कार्य आरंभ करने की तारीख्	कार्य पूरा करने की तारीख	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बोलीदाता अपेक्षा के अनुसार कार्य का विवरण देगा, जिसके आधार पर वह अपने आपको अर्हक समझता हो।

बोलीदाता को चाहिए कि वह निम्नलिखित की प्रति संलग्न करे-

(i) कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र, जिसमें कार्य (कार्यों) को पूरा करने की पूरी रकम और वर्ष का उल्लेख हो

अथवा

अर्हक कार्य (कार्यों) के संबंध में निष्पादित मात्रा के मूल्यांकन के समर्थन में ग्राहक द्वारा अदायगी के लिए स्वीकृत बिल की एक प्रति

(ii) उपर्युक्त के समर्थन में यूटिलिटी द्वारा बोलीदाता को दिया गया लेटर ऑफ अवार्ड/ संविदा करार ।

बोलीदाता एक अलग प्रपत्र में उपर्युक्त फार्मेट में वर्तमान में चल रहे अन्य कार्यों का विवरण भी देगा, जो केवल सूचनार्थ अनुबंध के रूप में होगा।

टिप्पणी यदि कोई बोलीदाता शुरू में ही अपेक्षित सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, तो उसकी बोली को रद्द किए जाने का जोखिम रहेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तकनीकी फार्म-**3**

नियोजित की जाने वाली टीम **(**जो कंपनी के नियमित रोजगार में हो**)**

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	योग्यता	अनुभव		टीम में सौंपा गया कार्य	अभ्युक्ति
			वर्षों की संख्या	क्षेत्र		

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तकनीकी फार्म-4
पृष्ठ 1 का 1

बोलीदाता का नाम और पता

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, पालिका भवन,
सेक्टर-13, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066

(ध्यानार्थ : श्री वी.के. सिंह)

प्रिय महोदय,

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी विनिर्देश और बोली में दी गई सेवाओं के क्षेत्र को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपस्कर/ उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जैसाकि आपके टेंडर दस्तावेज में उल्लेख है। हम इस कार्य को पूरा करने के लिए काम पर लगाए जाने वाले अपेक्षित उपस्करों/ उपकरणों का क्षेत्र-वार विवरण और स्रोत का विवरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उपस्करों के संबंध में खरीद/ संस्थापन की लागत या किसी अन्य संबंधित लागत का वहन पूर्णतः हमारे द्वारा किया जाएगा और यह हमारे एकमुश्त परामर्शी शुल्क में शामिल किया गया है। आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी।

क्रम सं.	उपस्कर/ उपकरण का नाम और प्रयोजन	उपस्कर/ उपकरण की उपलब्धता का स्रोत	अभ्युक्ति

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तकनीकी फार्म-5

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

चल रहे कार्यों का विवरण

(कृपया यहां पर वर्तमान में चल रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें।)

वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण फार्म

प्रस्ताव और एकमुश्त शुल्क

बोलीदाता का प्रस्ताव संदर्भ सं. और दिनांक

व्यक्ति, जिससे संपर्क किया जाएगा
पदनाम
दूरभाष सं.
फैक्स

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, पालिका भवन,
सेक्टर-13, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066

ध्यानार्थ : श्री वी.के. सिंह

प्रिय महोदय,

1.0 हम दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी के संबंध में अपना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

2.0 हमने आपके द्वारा बोली संबंधी दस्तावेजों में दिए गए निदेशों और शर्तों को भली-भांति समझ लिया है और आपके द्वारा दी गई विशिष्टियों/ कार्य के क्षेत्र की भली-भांति जांच कर ली है और हम अपेक्षित परामर्शी सेवाओं की प्रकृति से पूरी तरह परिचित हैं।

3.0 हम यह घोषित करते हैं कि बोली आमंत्रण में निहित सेवा के लिए निम्नलिखित एकमुश्त शुल्क भारतीय रुपयों में पक्की कीमत आधार पर देंगे।

कुल परामर्शी शुल्क (सेवा कर सहित)

रुपए ..... (केवल ..... रुपए) (भारतीय रुपयों में रकम शब्दों और अंकों

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

में)परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य अध्ययनों के शुल्क का विवरण **वित्त-। (मुल्य प्रस्ताव)** में दिया गया है।

4.0 हम यह घोषित करते हैं कि उपर्युव्त एकमुश्त शुल्क (जिसमें सेवा कर शामिल नहीं है) पक्का है और परामर्शी कार्य की संपूर्ण अवधि के दौरान विधिमान्य रहेगा। हम यह भी घोषित करते हैं कि उपर्युव्त शुल्क (जिसमें सेवा कर शामिल नहीं है) हमें इस परामर्शी कार्य के लिए अदा किया जाएगा।

5.0 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रस्ताव की कीमत और अन्य शर्तें प्रस्ताव खोले जाने की तारीख से 120 दिन की अवधि तक विधिमान्य रहेंगे। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि कानून के अधीन कोई सेवा कर, आय कर, अधिभार या कोई अन्य कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है, तो हम उसे संबंधित प्राधिकारियों को अदा करने के लिए सहमत हैं।

6.0 हम यह भी घोषित करते हैं कि विनिर्देशों के अनुसार ही सेवाएं प्रदान की जाएंगी। हम बोली दस्तावेज में निश्चित समय अनुसूची और 'अदायगी की शर्तें' संबंधी खंडों को स्वीकार करते हैं/अनुपालन करेंगे। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी, बैंक गारंटी के रूप में कुल परामर्शी शुल्क का 10 प्रतिशत है और अवार्ड किए जाने के मामले में निर्धारित फार्मेट के अनुसार हमारे द्वारा मुहैया कराई जाएंगी।

7.0 हमारा प्रस्ताव बोली खोलने की निश्चित तारीख से 120 दिन की अवधि तक विधिमान्य रहेगा।

8.0 हम भली-भांति जानते हैं कि ग्राहक ऐसे सफल परामर्शदाता को संविदा देगा, जिसका प्रस्ताव काफी उचित हो और जिसने न्यूनतम मूल्य का प्रस्ताव दिया हो।

9.0 हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि प्रस्ताव में मुख्य या प्रमुखों के रूप में जिस कंपनी/ व्यक्ति या हितबद्ध फर्म का नाम दिया गया है, उसका यहां उल्लेख किया जाएगा और उल्लिखित कंपनी/ व्यक्ति या फर्म से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति या फर्म, जिसका इस प्रस्ताव या संविदा में कोई हित हो, उसे भी यह संविदा करनी होगी बशर्ते कि हम उसे इस संविदा को अवार्ड करें।

10.0 संविदा की शर्तों के खंड 8.5 के अनुसार हम उस व्यक्ति के नाम में मुखतारनामा संलग्न कर रहे हैं, जो फर्म की ओर से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

वित्तीय फार्म-1

पृष्ठ 1 का 1

मूल्य का प्रस्ताव

मूल्य की अनुसूची

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

क्रम सं.	विवरण	कीमत (रुपए)	अभ्युक्ति
1.	एकमुश्त आधार पर दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना		
2.	..... रुपए की दर से सेवा कर		
3.	**जोड़ (1+2)**		

कुल उल्लिखित कीमत रुपए
.....

(शब्दों में रुपए
.....
.....)

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर - शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए

सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए

संविदा की शर्तें

खंड-II

विषय-सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.0	शब्दों की परिभाषा	
2.0	विधिमान्यता	
3.0	बोली की विद्यमानता	
4.0	बोली दस्तावेज	
5.0	अग्रिम धन जमा	
6.0	समझ और स्पष्टीकरण	
7.0	प्रस्तावों की विसंगतियां और समायोजन	
8.0	बोलीदाता/अधिकारी के हस्ताक्षर	
9.0	प्रगामी अदायगी	
10.0	कार्य को पूरा करने में हुए विलंब के लिए परिसमाप्त क्षति	
11.0	परामर्शदाता का दायित्व	
12.0	कार्य, शुल्क और बीमा	
13.0	पेटेंट	
14.0	विवादों का निपटान	
15.0	माध्यस्थम	
16.0	संविदा की समाप्ति	
17.0	सुविधा की समाप्ति	
18.0	दिवालियेपन के कारण समाप्ति	
19.0	करार पर हस्ताक्षर करना	
20.0	लागू कानून	
21.0	दायित्व का निलंबन	
22.0	अपरिहार्य घटना	
23.0	दस्तावेज पर कार्रवाई करना	
24.0	कार्य का परित्याग	
25.0	उप-संविदा	
26.0	दायित्व की सीमा	
27.0	परिवर्तन, परिवर्धन और विलोपन	
28.0	कोई माफी नहीं	
29.0	अनुदेश और नोटिस	
30.0	दिवालियापन	
31.0	प्रगति रिपोर्ट	
32.0	कार्य का निष्पादन करने की पद्धति	
33.0	पत्राचार और संविदा समन्वय प्रक्रिया	
34.0	परामर्शदाता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण	

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

35.0	जनशक्ति को काम पर लगाना	
36.0	उपस्कर/ उपकरण की सूची	
37.0	समन्वय प्रक्रिया	
38.0	सहयोग	
39.0	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	
40.0	भाषा	
41.0	यूनिट और भारतीय मानक/ कोड/ विनियम	
42.0	स्वामी का अधिकार	
43.0	यात्रा व्यय	
44.0	परामर्शदाता के कार्यालय/ कार्यस्थल तक पहुंच	

1.0 शब्दों की परिभाषा

1.1 जब तक अन्यथा परिभाषित न हो, इस दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगाः

1.2 'स्वामी' या 'ग्राहक' या 'नियोक्ता' से तात्पर्य है आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत (जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन करपोरेशन लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी है) और इसमें उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरवर्ती और अनुमत कार्यकर्ता शामिल होंगे।

1.3 'इंजीनियर' या 'प्रभारी-इंजीनियरी' या 'ई.आई.सी' से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे इस संविदा से संबंधित सभी मामलों में स्वामी की ओर से समय-समय पर 'समन्वयक' के रूप में कार्य करने के लिए स्वामी द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया गया हो। प्रभारी-इंजीनियर को ग्राहक द्वारा इस संविदा के अधीन परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं के पर्यवेक्षण, निरीक्षण और कुछ या सभी सेवाओं के अनुमोदन के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

1.4 'विनिर्देश' से तात्पर्य है तकनीकी विनिर्देश और बोली प्रस्ताव प्रपत्र सहित संविदा की शर्तें, जो इस बोली दस्तावेज और संविदा और ऐसी अन्य अनुसूचियों और आरेखों के भाग होंगे, जिसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की गई हो।

1.5 'संविदा के अवार्ड का नोटिस/ अवार्ड पत्र' से तात्पर्य है स्वामी से प्राप्त शासकीय सूचना, जो सफल बोलीदाताओं को इसकी सूचना होगी कि उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और बोलीदाता को संविदा करार पर हस्ताक्षर करने हैं।

1.6 'संविदा की तारीख' से तात्पर्य है वह तारीख, जिसपर दोनों पक्षकारों ने संविदा करार पर हस्ताक्षर किए हों या ऐसी अन्य तारीख, जिसका उल्लेख संविदा/ अवार्ड पत्र में किया गया हो, जो संविदा की तारीख पर लागू होती हो, इनमें से जो भी पहले हो।

1.7 एक 'सप्ताह' से तात्पर्य है सात दिन की लगातार अवधि।

1.8 'भारतीय रुपए' या 'रु.' से तात्पर्य है भारत सरकार की मुद्रा।

1.9 'सरकार' से तात्पर्य है 'भारत सरकार' या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/ एजेंसी/ विभाग।

1.10 जो शब्द एकवचन में दिए गए हों, उनमें बहुवचन भी शामिल है और जो बहुवचन में दिए गए हों, उनमें एकवचन भी शामिल है, जैसाकि प्रसंग में अपेक्षित हो।

1.11 'अंतिम रिपोर्ट'/ 'अंतिम दस्तावेज' या 'रिपोर्ट' से तात्पर्य है स्वामी के विनिर्देशों के अनुसार परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट या दस्तावेज।

1.12 'कार्यस्थल' से तात्पर्य है जमीन जहां बिजलीघर बनाना है। इसमें वह जमीन और अन्य स्थान शामिल है, जिसके ऊपर या जिसमें आसपास की भूमि, रास्ते, गली, नदी और तालाब आदि शामिल हैं।

1.13 'आरंभ करने की तारीख' से तात्पर्य है वह तारीख, जो विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के रूप में मापी जाएगी और जो समापन अनुसूची में दी गई हो। प्रत्येक अनुसूची की आरंभिक तारीख जब तक अन्यथा स्वीकार न की जाए, तब तक संबंधित अनुसूचियों में किए गए उल्लेख के अनुसार होगी।

1.14 'माह' से तात्पर्य है कैलेंडर मास। 'दिन या दिवस' से तात्पर्य है कैलेंडर दिन या प्रत्येक 24 घंटे का दिन बशर्ते कि अन्यथा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। विस्काळ माह में कार्यदिवसों की परिभाषा परामर्शदाता द्वारा अपने प्रस्ताव में यथापरिभाषित के अनुसार होगी।

1.15 इसका नाम या शीर्षक दस्तावेजों के खंडों या अनुच्छेदों के आशय या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

1.16 संविदा पूरे होने की तारीख - दस्तावेजों के अन्य संगत खंडों के अधीन जब तक अन्यथा संविदा के समापन की तारीख समाप्त न कर दी जाए, संविदा से तात्पर्य होगा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद समापन समझा जाएगा कि परामर्शदाता के प्रति कोई मांग बकाया नहीं है और संविदा के अधीन दायित्व परामर्शदाता द्वारा संतोषजनक ढंग से पूरे कर लिए गए हैं।

1.17 कार्यक्षेत्र के अधीन परामर्शदाता द्वारा दिए गए 'कार्य की अंतिम स्वीकृति' को, परामर्शी कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने और सभी दस्तावेज, रिपोर्टें आदि आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत किए जाने और संबंधित कानूनी प्राधिकारियों और भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद छह (6) माह और प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, स्वामी द्वारा दिया जाएगा, जो इसमें इसके बाद परिभाषित किया गया है।

1.18 व्यक्ति शब्द में फर्म, कंपनी, कारपोरेशन, एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय,चाहे निगमित हो या नहीं, शामिल है।

1.19 'परामर्शदाता' या 'तकनीकी विशेषज्ञ' या 'ठेकेदार' से तात्पर्य है वह बोलीदाता, जिसकी बोली को कार्य अवार्ड किए जाने के लिए स्वामी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और इसमें उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरजीवी और अनुमत व्यक्ति भी शामिल होंगे।

1.20 'परामर्शी कार्य' या 'कार्य' या 'मूल्यांकन' या 'सेवाओं' से तात्पर्य है, विनिर्देश/विचारार्थ विषयों में विहित पूरा अध्ययन।

1.21 'संविदा' से तात्पर्य है स्वामी और परामर्शदाता के बीच निष्पादित संविदा करार, जिसमें उल्लिखित संविदा दस्तावेज भी शामिल हैं। वे संविदा के अंग होंगे और संविदा शब्द सभी ऐसे दस्तावेजों के अनुसार समझा जाएगा।

2.0 विधिमान्यता

यह प्रस्ताव पक्की कीमत आधार पर होगा और प्रस्ताव खोले जाने की तारीख से कम से कम 120 दिन तक स्वीकृति के लिए विधिमान्य होगा।

3.0 बोली की विद्यमानता

बोली प्रस्ताव प्रपत्र की अनुसूची में लिखित सभी कीमतें भारतीय रुपयों में होनी चाहिए और सभी अदायगियां भारतीय रुपयों में की जाएंगी।

4.0 बोली दस्तावेज

4.1 यह दस्तावेज बोलीदाता द्वारा विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए ही होता है और इसे अंतरित, उद्धृत या अन्यथा ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जिसके लिए यह विशेष रूप से जारी किया गया है।

4.2 आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह न्यूनतम या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करे या अपने निर्णयों के बारे में कोई कारण बताए। कारपोरेशन को अधिकार है कि वह कोई कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को रद्द कर दे ।

5.0 अग्रिम धन जमा

5.1 भारतीय रुपए 25,000/- (भारतीय रुपए केवल पच्चीस हजार) की रकम की बोली गारंटी बोली के साथ मुहरबंद लिफाफे में अलग से लगाई जाएगी, जिसके ऊपर इस प्रकार लिखा जाएगाः

"बोली दस्तावेज संख्या ..... के लिए परामर्शी सेवा पैकेज की बोली गारंटी, जो दिनांक ..... को ..... पर ..... से .....को देय होगी

"बोली गारंटी इनमें से किसी एक रूप में होगी-

आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय क्रॉस किया गया ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक का हो, या **अनुबंध-3** में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में हो। "

5.2 बोली गारंटी बिना शर्त के स्वामी को और मांग करने पर देय होगी।

5.3 अवार्ड के प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा बोली खोलने और उस पर विचार करने के प्रतिफल के रूप में इस बोली को बोली खोलने की तारीख से 120 दिन की ऐसी अवधि तक के लिए विधिमान्य रखा जाएगा, जिस अवधि में बोलीदाता अपनी बोली के प्रति या अंशतः परिवर्तन करने, परिवर्तन न करने या उसे निरस्त न करने के लिए सहमत हो। लेकिन यदि बोलीदाता अपनी बोली को 120 दिन तक विधिमान्य न रख पाए या इस अवधि के दौरान इसमें कोई परिवर्तन कर दे, तो स्वामी को अधिकार है कि वह बिना किसी नोटिस या क्षति के सबूत आदि के बोली गारंटी की रकम को जब्त कर सकता है।

5.4 ऐसे सफल बोलीदाताओं की बोली गारंटी उव्त बोलीदाता को वापस नहीं की जाएगी, जिसे संविदा का अवार्ड किया गया हो बशर्ते कि उसने संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी दी हो।

5.5 यदि सफल बोलीदाता संविदा अवार्ड करने के पत्र की तारीख के बाद 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों के अंदर संविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत नहीं कर पाता तो स्वामी द्वारा बिना नोटिस दिए या हानि आदि का सबूत दिए बैंक गारंटी की रकम को जब्त कर लिया जाएगा।

5.6 सफल बोलीदाताओं के सिवाय असफल बोलीदाताओं की बोली गारंटी संविदा अवार्ड करने के बाद 30 (तीस) दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी।

5.7 **उपर्युव्त प्रावधानों के अनुसार यदि किसी बोली के साथ बोली गारंटी न लगाई गई हो, तो माना जाएगा कि बोली नहीं मिली और रद्द कर दिया जाएगा।**

5.8 उपर्युव्त बोली गारंटी के संबंध में स्वामी द्वारा कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

6.0 <u>दस्तावेज और विनिर्देशों को समझना और उसका स्पष्टीकरण</u>

बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विनिर्देशों और दस्तावेजों की सावधानी से जांच कर ले और ऐसी सभी शर्तों और मामलों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर ले, जिससे उसके कार्य या उसकी लागत पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई बोलीदाता विनिर्देशों या दस्तावेजों में कोई विसंगति या चूक पाता है या यदि उसे ऐसी शंका हो कि किसी भाग का सही अर्थ क्या है, तो वह तत्काल स्वामी से स्पष्टीकरण ले सकता है। लेकिन स्वामी द्वारा निर्धारित बोली के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख से पहले सात (7) दिन के बाद नहीं। ऐसे निर्वचन या स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद बोलीदाता अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसे अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट करने समय और तारीख के अंदर ही प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार सभी निर्वचन और स्पष्टीकरण विनिर्देशों और दस्तावेजों के आंतरिक भाग होंगे और परामर्शदाता के प्रस्ताव के साथ लगाए जाएंगे।

स्वामी या उसके कर्मचारी (कर्मचारियों) या उसके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मौखिक रूप से दिया गया स्पष्टीकरण या सूचनाएं किसी प्रकार से स्वामी पर आबद्धकर नहीं होंगे।

7.0 विसंगतियां और भूल का समायोजन

7.1 बोली दस्तावेज एक-दूसरे को परस्पर स्पष्ट करने वाले होते है । यदि कहीं इनमें अंतर या विरोधाभासी प्रावधान हों, तो आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड इन प्रावधानों के ऐसे अर्थ के मामले में निर्णायक प्राधिकारी होगा।

7.2 विवरण, मात्रा या अनुसूची की दर में यदि कोई भूल हो या कोई चूक हो जिससे संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो इनके कारण संविदा दूषित नहीं होगी और न ही परामर्शदाता को अपने कार्य के सभी या किसी उस भाग के निष्पादन से छूट मिलगी , जो संविदा के अधीन आरेखों और विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित हों या जिनके कारण परामर्शदाता का दायित्व बनता हो।

7.3 यदि परामर्शदाता द्वारा दी गई दरों में शब्दों में और अंकों में या प्रस्ताव की अनुसूची में उसके द्वारा प्रकट कुल रकम में जांच करने पर कोई अंतर पाया जाता है, तो उसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार संशोधित किया जाएगाः

(क) बोलीदाता द्वारा लिखित शब्दों और अंकों के विवरण में विसंगति पाई जाने पर शब्दों में दिया गया विवरण मान्य होगा।

(ख) यदि यूनिट दर या मात्रा का गलत विस्तार किए जाने के कारण कोई भूल होती है तो यूनिट की दर निश्चित मानी जाएगी और विस्तार को दर के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

(ग) रकम के खाने में जोड़ में हुई सभी भूलें या जोड़ को आगे ले जाने में हुई भूल को सही कर दिया जाएगा।

7.4 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कीमतें अनुसूचियों में दी गई कीमत के अनुरूप हैं। यदि विनिर्दिष्ट कीमत और अनुसूची में दी गई कीमत में अनुरूपता न हो (जो इस प्रयोजन के लिए बोली प्रस्ताव प्रपत्र में अभिनिर्धारित किया जाएगा) तो स्वामी इस बात का हकदार होगा कि न्यूनतम कीमत पर संविदा अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन करने उच्चतम कीमत पर विचार करे।

7.5 विस्तृत मूल्यांकन से पहले स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बोली स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए सामान्य रूप से पूरी है और बोली दस्तावेजों में उल्लिखित बातों का जबाब देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए मापदंड यह होगा कि एक जिम्मेदार बोली वह होती है, जो बोली दस्तावेज की सभी शर्तों और विनिर्देशों को पूरी करती हो और इसमें ऐसा कोई विचलन, आपत्ति, शर्त या पूर्वाग्रह न हो (i) जो संविदा के कार्यक्षेत्र, गुणवत्ता या निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, (ii) जो इस संविदा के अधीन स्वामी के अधिकार या सफल बोलीदाता के दायित्वों के आबद्धकर दस्तावेजों के विपरीत न हो जिससे वह काफी सीमित हो जाता हो, या (iii) इसमें किया जाने वाला सुधार ऐसे अन्य बोलीदाताओं की प्रतियोगी स्थिति पर अनुचित प्रभाव डाले, जिन्होंने काफी जिम्मेदार बोलियां प्रस्तुत की हों। बोली की जिम्मेदारी के निर्धारण के संबंध में स्वामी का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर आबद्धकर होगा।

7.6 जिन बोलियों को काफी उपयुक्त नहीं समझा गया हो, उन्हें स्वामी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें बाद में बोलीदाता द्वारा विसंगति में सुधार करके उपयुक्त नहीं बनाया जाएगा।

7.7 स्वामी बोली में ऐसी छोटी-मोटी विसंगति, अनौपचारिकता या अनियमितता को माफ कर सकता है, जिनसे कोई महत्त्वपूर्ण विचलन नहीं होता हो, बशर्ते कि इस प्रकार की माफी पूर्वाग्रहपूर्ण न हो या किसी बोलीदाता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

8.0 बोली/ प्रस्ताव पर हस्ताक्षरः

8.1 प्रस्ताव में प्रस्ताव देने वाले (वालों) का नाम, निवास स्थान का पता और कारोबार का पता अवश्य दिया जाना चाहिए और बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा अपने सामान्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगाई जानी चाहिए।

8.2 भागीदार फर्म द्वारा दिए गए प्रस्तावों में सभी भागीदारों के पूरे नाम दिए जाने चाहिए और उसमें सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके पश्चात प्राधिकृत भागीदार (भागीदारों) या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के हस्ताक्षर और पदनाम दिए जाने चाहिए।

8.3 कापोरेशन/ कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर कारपोरेशन/कंपनी के विधिक नाम के अनुसार अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो इस मामले में ऐसे कारपोरेशन/ कंपनी की ओर से प्रस्ताव देने के लिए प्राधिकृत हों।

8.4 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव, जो 'अध्यक्ष' या 'प्रबंध निदेशक' 'सचिव' या अन्य पदनाम लिखकर हस्ताक्षर करेगा, उसे अपने प्रमुख स्वामी का भी उल्लेख करना और मूलधन को भी बताना होगा अन्यथा वह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

8.5 परामर्शी/ बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम में मुखतारनामा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8.6 प्रस्ताव में उल्लिखित परामर्शदाता(बोलीदाता) का नाम फर्म के सही नाम के अनुसार होना चाहिए।

8.7 प्रस्ताव में किसी चीज को मिटाने या परिवर्तित करने पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर आद्याक्षर किए जाएंगे।

8.8 जिन प्रस्तावों पर उपर्युक्त अपेक्षा के अनुसार हस्ताक्षर न किए गए हों, उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा।

9.0 प्रगामी अदायगी

इन सेवाओं के बदले सभी अदायगियां परामर्शदाता द्वारा चार प्रतियों में बीजक प्रस्तुत करने पर की जाएंगी। प्रत्येक फीस की अदायगी सेवाओं की अवस्था-वार पूरा होने पर खंड संख्या 6 (बोली आमंत्रण की अदायगी की शर्तें) के अनुसार की जाएगी, जिसमें किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया जाएगा और यह स्वामी के द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित और प्रमाणीकरण के बाद की जाएगी।

9.1 अदायगी की प्रक्रियाः

अदायगी के सभी बीजकों के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाए जाएंगे और उन्हें प्रभारी इंजीनियर के प्रमाणीकरण के लिए चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा अधिकतम 7 दिनों में प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ताकि सेवा के संबंध में रकम की अदायगी 15 दिनों के अंदर की जा सके। यदि ऐसे बीजक की किसी मद के संबंध में कोई सवाल उठाया जाता है या कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है, तो प्रभारी इंजीनियर स्वामी द्वारा ऐसे बीजकों की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उसकी सूचना देगा कि इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है। दोनों पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उसके पश्चात तीस दिन की अवधि के अंदर कोई सहमति बनाने का प्रयास करें। यदि प्रभारी इंजीनियर द्वारा बीजक प्राप्त करने के बाद पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर कोई सहमति नहीं बन पाती, तो स्वामी उसके पश्चात, अर्थात प्रभारी इंजीनियर द्वारा बीजक प्राप्त करने की तारीख से साठ (60) दिन के अंदर अर्थात उसके बाद तीस (30) दिन के अंदर परामर्शदाता को बीजक के शेष (मूल रकम में से यह रकम घटाकर) अदायगी करेगा। शेष रकम का बीजक स्वामी के विचारार्थ बाद में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

10.0 समापन में विलंब के लिए परिसमाप्त नुकसानः

स्वीकृत कार्य अनुसूची के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए निर्धारित तारीखों/ अवधि के बाद परामर्शदाता द्वारा किए गए किसी विलंब के लिए परामर्शदाता, आरईसीटीपीसीएल को परिसमाप्त नुकसान की अदायगी करेगा और अदायगी दंड के रूप में नहीं अपितु प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए कुल संविदा मूल्य के 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से परिकलित किया जाएगा। लेकिन इस खंड के अधीन परामर्शदाता की कुल देयता अवार्ड की गई संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

11. परामर्शदाता की देयताः

यदि स्वामी द्वारा कार्य को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने की तारीख से पहले परामर्शदाता द्वारा किए गए अध्ययन और प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई कमी या अपर्याप्तता पाई जाती है, तो परामर्शदाता इसे अपनी पहल पर पूरा करेगा और इसके लिए आरईसीटीपीसीएल को कोई लागत नहीं देनी होगी। इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं, जो उक्त कमी या अपर्याप्तता को दूर करने के लिए आवश्यक रूप से किए जाएंगे।

परामर्शदाता ऐसी भूल-चूक के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो उसके या उसके कर्मचारियों या उसके साथियों (एसोसिएट्स) या विशेषज्ञ द्वारा की गई हो। इस प्रकार की भूल-चूक के लिए इस संविदा के कुल संविदा मूल्य तक की अदायगी की जाएगी।

12.0 कर शुल्क और बीमाः

सभी कर (लागू सेवा कर को छोड़कर), शुल्क, लेवीस, बीमा प्रभार आदि, जो इस संविदा के कारण अदा किए जाने हों, परामर्शदाता द्वारा सीधे अदा किए जाएंगे और इसे कार्य के संपूर्ण क्षेत्र के लिए बोली की एकमुश्त कीमत में शामिल किया जाएगा। आरईसीटीपीसीएल इस संबंध में किसी प्रकार के व्यय का वहन नहीं करेगा। जहां तक आय कर, आय कर अधिभार और अन्य कारपोरेट कर का संबंध है, परामर्शदाता संबंधित प्राधिकारियों को ऐसी अदायगियां करने के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन स्वामी सरकारी नीति/ कर नियम और विनियमों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती का हकदार होगा। परामर्शदाता को अपनी लागत पर सभी आवश्यक बीमे लेने होंगे/ बनाए रखने होंगे।

परामर्शदाता यथा अपेक्षित संबंधित प्राधिकारियों से सभी आवश्यक बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। यदि राज्य/ केंद्र सरकार या किसी सरकारी निकाय को कोई विधिक/ लाइसेंस शुल्क अदा किया जाना हो, तो इस प्रकार की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए आरईसीटीपीसीएल द्वारा सीधे संबंधित एजेंसी को यह अदायगी की जाएगी।

13.0 पेटेंट

13.1 परामर्शदाता बिना नुकसान के कार्य करेगा और पेटेंट, कापीराइट, डिजाइन और ऐसे विद्यमान अन्य अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण किसी दावे से उत्पन्न हानि, नुकसान या व्यय से ग्राहक को मुक्त रखेगा या किसी मुकदमे अथवा डिजाइन की आपूर्ति या डिजाइन/ आरेख के अनुसार कार्य करने या परामर्शदाता द्वारा दी गई विशिष्टियों, अनुमोदनों या सिफारिशों के अनुसार किसी डिजाइन द्वारा किसी मौजूदा कानून कापीराइट का उल्लंघन होने पर खुद जिम्मेदार होगा '

व्13.2 परामर्शदाता किसी ऐसे पेटेंट की जानकारी अर्जित करने या उसे इस्तेमाल करने की संभावना के संबंध में लिखित रूप में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा, जिसके अधीन नियमों का उल्लंघन करने के कारण दावे या मुकदमे किए जा सकते हों क्योंकि परामर्शदाता के द्वारा दी गई सेवाओं, सूचनाओं, सिफारिशों या विनिर्देशों का ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने के कारण ऐसे दावे या मुकदमे किए जा सकते हों।

13.3 ऐसे मामलों में परामर्शदाता अपनी लागत पर तत्काल वैकल्पिक डिजाइन, आरेख, विशिष्टियां या सिफारिशें ग्राहक को प्रस्तुत करेगा ताकि ग्राहक पर अतिरिक्त लागत का भार न पड़े।

14.0 विवादों का निपटारा

14.1 संविदा में अन्यथा विशेष रूप से किए गए प्रावधान के सिवाय संविदा के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी कारक के संबंधित प्रश्नों के सभी विवाद इंजीनियर द्वारा निपटाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए इंजीनियर को परामर्शदाता द्वारा लिखित अपील करनी होगी। इंजीनियर का निर्णय इन पक्षकारों पर अंतिम रूप से लागू होगा।

14.2 संविदा के कारण या संविदा के संबंध में इन पक्षकारों में से किसी एक द्वारा भी ऐसा होने पर कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न किया जाता है तो इसे यथासंभव दोनों पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।

14.3 यदि सौहार्दपूर्ण समाधान न हो सके तो सभी विवादित मुद्दे **माध्यस्थम** खंड में दिए गए तरीके के अनुसार माध्यस्थम द्वारा निपटाए जाएंगे

15.0 माध्यस्थम

15.1 यदि इस परामर्शी कार्य से या के संबंध में कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, भले ही यह विवाद कार्य के दौरान उत्पन्न हुआ हो या उसके समापन के बाद या संविदा के परित्याग या भंग के बाद, तो उसे मध्यस्थ को भेजा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ग्राहक और परामर्शदाता अपने–अपने एक मध्यस्थ नामित करेंगे। ये मध्यस्थ अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे, जो अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिक से अधिक एक महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। मध्यस्थ की कार्रवाई भारतीय माध्यस्थम और समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनके किसी कानूनी आशोधनों के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थ को मुद्दा भेजने की लागत और माध्यस्थम का अवार्ड उस सीमा तक और उस तरीके से पक्षकारों द्वार वहन किया और लागू किया जाएगा, जो मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा तय किया जाएगा ।

यदि परामर्शदाता कोई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम/सरकारी विभाग हो (लेकिन ऐसा राज्य सरकारी उपक्रम या संयुक्त क्षेत्र उपक्रम न हो, जो केंद्र सरकारी उपक्रम की सहायक कंपनी न हो), तो स्वामी और परामर्शदाता के बीच उत्पन्न विवाद को सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार के स्थायी माध्यस्थम तंत्र को समाधान के लिए भेजा जाएगा।

15.2 माध्यस्थम के लिए विवाद या मतभेद और/या संदर्भ होने के बावजूद, परामर्शदाता इस संविदा के अधीन कार्य–निष्पादन में न कोई रुकावट डाले और इसे जारी रखे और इसे पूरे परिश्रम तथा व्यावसायिक तरीके से करता रहेगा और परामर्शदाता को की जाने वाली अदायगी ग्राहक द्वारा तब तक ऐसे मतभेदों या माध्यस्थम के कारण रोकी नहीं जाएगी जब तक कि ऐसी अदायगी ही माध्यस्थम का विषय न हो।

15.3 माध्यस्थम अवार्ड देने और उसे प्रकाशित करने के लिए इन पक्षकारों की सहमति से समय–समय पर समय–सीमा बढ़ा सकता है। माध्यस्थम का स्थल आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय होगा।

16.0 चूकों के कारण संविदा समाप्त करना

16.1 स्वामी संविदा भंग होने के किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परामर्शदाता को भेजे गए चूकों के लिखित नोटिस द्वारा संविदा को पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर सकता है।

(क) यदि परामर्शदाता संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि (अवधियों) या स्वामी द्वारा लिखित रूप में बढ़ाई गई समय के अंदर कोई या सभी सेवाएं देने में असफल रहता है;

(ख) यदि परामर्शदाता संविदा के अधीन किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) का निर्वाह नहीं कर पाता या

(ग) यदि परामर्शदाता उपर्युक्त परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मालिक से चूक का नोटिस प्राप्त होने के बाद तीस (30) दिन की अवधि के अंदर उसमें सुधार नहीं कर पाता है।

16.2 यदि स्वामी पैरा 16.1.0 के अनुसरण में पूरी संविदा या उसके अंश को समाप्त कर देता है, तो ऐसी समाप्ति पर और उचित समझे जाने वाले तरीके से, जो की गई सेवा के अनुसार हो और जिसे स्वामी के लिए पूरा करना परामर्शदाता की जिम्मेदारी हो, ऐसी सेवाओं की अधिक लागत की अदायगी करेगा, लेकिन परामर्शदाता तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक संविदा समाप्त नहीं कर दी जाती।

17.0 सुविधा के कारण संविदा की समाप्ति

17.1 स्वामी परामर्शदाता को लिखित नोटिस भेजकर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पूर्ण रूप से या अंशतः संविदा की समाप्ति कर सकता है। संविदा समाप्त करने के नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि स्वामी की सुविधा के कारण इसे संविदा के अधीन उस सीमा तक समाप्त किया जाता है और उस तारीख से यह समाप्ति लागू होगी, जिसका उल्लेख स्वामी द्वारा किया गया हो।

17.2 संविदा समाप्त करने के नोटिस को परामर्शदाता द्वारा प्राप्त करने के बाद संविदा पूरी होने और तीस (30) दिन के अंदर अंतिम रिपोर्ट तैयार होने वाले अध्ययन/सेवाओं को संविदा की शर्तों और कीमत पर स्वामी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। शेष सेवाओं के संबंध में स्वामी निम्नलिखित विकल्प अपना सकता हैः

(क) किसी भाग को पूरा करना और संविदा की शर्तों तथा कीमत पर उसे सुपुर्द करना; और/या

(ख) शेष संविदा को रद्द करना और आंशिक रूप से पूरी की गई सेवाओं के संबंध में परामर्शदाता को तय की गई रकम अदा करना।

18.0 दिवालियेपन के कारण संविदा की समाप्ति

18.1 यदि परामर्शदाता दिवालिया हो जाए या अन्यथा उसका दिवाला निकल जाए तो स्वामी परामर्शदाता को लिखित नोटिस देकर परामर्शदाता को बिना किसी प्रतिपूर्ति के, इस संविदा

को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। परंतु इस समाप्ति का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा या कार्य के किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो स्वामी द्वारा उसके बाद किया गया हो या किया जाएगा।

18.2 किसी भी कारण से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संविदा समाप्त किए जाने पर तब तक परामर्शदाता को उसके द्वारा संतोषजनक ढंग से पूरी की गई सभी सेवाओं के संबंध में अदायगी की जाएगी जब तक संविदा समाप्त नहीं कर दी जाती। इसके अलावा, परामर्शदाता को उन कार्यों के संबंध में भी अदायगी की जाएगी, जिन्हें संगत खंडों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार आंशिक रूप से पूरा किया गया हो। परामर्शदाता ऐसे कार्यों के संबंध में उपलब्ध ऐसे दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को स्वीकार्य हों।

18.3. आरइसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संविदा समाप्त करने के नोटिस और संविदा समाप्त करने की लागू तारीख से पहले परामर्शदाता द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगेः

(क) संविदा की तारीख तक और संविदा समाप्ति के नोटिस की विनिर्दिष्ट सीमा तक संविदा के अधीन चल रहे और किए गए कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ख) सेवाओं के संबंध में कोई अन्य खर्च नहीं करेगा सिवाय उसके जो नोटिस द्वारा समाप्त नहीं किए गए संविदा के अधीन कार्य के किसी अंश को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

(ग) नोटिस के जरिए संविदा के बचे कार्य को पूरा करने से संबंधित सीमा तक सभी शेष आदेश, सेवा संविदा और उप–संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

(घ) हक का अंतरण किया जाएगा और इसे एक तरीके, समय और सीमा, यदि कोई हो, तक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को अंतरित किया जाएगा। यह अंतरण आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा सभी पूरी या आंशिक रूप से पूरी रिपोर्टों, डिजाइनों, डेटा, नक्शों, योजनाओं, फोटोग्राफ, विनिर्देशों और परिणति, यदि कोई हो, तक अंतरित की जाएंगी, जो उस स्थिति में आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्जित की जाती यदि यह संविदा जारी रहती।

संविदा समाप्त किए जाने से परामर्शदाता ऐसी समाप्ति की तारीख से पहले की गई सेवाओं के भाग के संबंध में संविदा के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

19.0 करार पर हस्ताक्षर करना

स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्मेट के अनुसार परामर्शी कार्य के लिए परामर्शदाता संविदा करार का एक मसौदा तैयार करेगा, जिसे अवार्ड पत्र जारी करने की तारीख से दस (10) दिन के अंदर स्वामी की समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुमोदन के बाद परामर्शदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि को संविदा करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। दोनों पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के तत्काल बाद परामर्शदाता ऐसे करार की पांच (5) प्रतियां तैयार करेगा और इसके लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड पर अतिरिक्त लागत का भार नहीं डालेगा।

20.0 लागू विधि

इस परामर्शी कार्य पर तत्समय विद्यमान भारतीय विधि लागू होगी और केवल दिल्ली न्यायालय का इस पर क्षेत्राधिकार होगा।

21.0 दायित्वों का निलंबन

21. इस विनिर्देश में नियत दायित्व किसी भी मद या कार्य के मामले में उसी स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यदि खंड 20.0.0 में परिभाषित कोई अपरिहार्य घटना घट जाए या दोनों पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसार ऐसा हो।

21.2 अपरिहार्य घटना की स्थिति में इन विशिष्टियों की शर्तों के अनुसार किसी भी पक्षकार के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने अपने दायित्वों में कोई चूक की है।

22.0 अपरिहार्य घटना

22.1 अपरिहार्य घटना इसमें ऐसे कारण के रूप में परिभाषित की गई है, जो यथास्थिति परामर्शदाता या आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के नियंत्रण से बाहर हो और जिसके संबंध में वे कोई पूर्वानुमान न लगा सकते हों तथा जिससे संविदा के कार्य–निष्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, यथा–

(क) दैवी घटना, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप और महामारी शामिल है, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ख) देशी या विदेशी सरकार का कोई कार्य, जिसमें घोषित या अघोषित युद्ध वरीयता प्रतिरोध आदि भी शामिल है, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं है।

परंतु कोई भी पक्षकार ऐसी धटना के होने के पंद्रह (15) दिन के अंदर ऐसे कारणों की सूचना लिखित रूप में अन्य पक्षकार को देगा।

23.0 दस्तावेजों का रखरखाव

23.1 परामर्शदाता द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई सभी योजनाएं, डिजाइन, परिकलन, अध्ययन, डेटा, नक्शे, आरेख और विशिष्टियां स्वामी की संपत्ति होंगी। जब कभी संविदा को समाप्त करना आवश्यक हो, या कर दिया जाए, तो इस अध्ययन (मूल सहित) विशेष रूप से तैयार किए गए उक्त दस्तावेज अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने या उसके बाद स्वामी को सुपुर्द कर दिए जाएंगे।

23.2 परामर्शदाता उस योजना, डिजाइन, आरेख, विशिष्टियों, पद्धतियों और विकसित किसी अन्य सूचना या उसके द्वारा अर्जित सूचना का गोपनीय तरीके से रखरखाव सुनिश्चित करेगा, जो उसे संविदा के अधीन या अपने कार्य का निष्पादन करते समय आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड से प्राप्त हुए हों।

23.3 परामर्शदाता स्वामी की पूर्व–लिखित सहमति के बिना ऐसा कोई लेख या फोटोग्राफ प्रकाशन के लिए या भाषण या कार्य और/ या कार्यस्थल और/ या संयंत्र संविदा और संस्थापन के बारे में कोई प्रस्तुतीकरण तैयार नहीं करेगा, जिसमें उसकी रुचि हो।

23.4 यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा कि इस संविदा से संबंधित किसी भी कार्य पर लगाए गए सभी कार्मिक के नोटिस में यह बात है कि उन पर शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का XIX) लागू होता है और इस संविदा के अधीन कार्य (कार्यों) के निष्पादन के बाद भी लागू रहेगा।

24.0 कार्य का परित्याग

24.1 यदि परामर्शदाता द्वारा किसी कार्य, जिसमें विशिष्टियों के क्षेत्र में आने वाला कार्य भी शामिल है, का परित्याग किया जाता है अथवा किसी भी कारण से उसे निलंबित किया जाता है, जिसके लिए परामर्शदाता जिम्मेदार न हो तो वास्तविक रूप से किए गए कार्य के संबंध में स्वामी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आनुपातिक अदायगी की जाएगी।

25.0 उप–संविदा

परामर्शदाता आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्व–लिखित सहमति के बिना इस कार्य के किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है या उसकी उप–संविदा नहीं कर सकता है।

26.0 दायित्वों की सीमा

26.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड परामर्शदाता के कार्मिकों, विशेषज्ञों, इंजीनियरों, उप–ठेकेदारों, लाइसेंसधारियों, सहयोगियों, विक्रेताओं या सहायक कंपनियों के साथ परामर्शदाता के सांविधिक दायित्वों से उत्पन्न किसी देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

26.2 परामर्शदाता और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड दोनों इस बात के लिए सहमत हैं कि किसी कार्य या चूक के कारण कार्य–निष्पादन के दौरान अपने कर्मचारियों या प्रतिनिधियों को उसकी परिसंपत्ति, कर्मचारियों या प्रतिनिधियों के कारण हुए नुकसान या लगी चोट का वे पूरा जोखिम उठाएंगे।

27.0 परिवर्तन/ परिवर्धन/ विलोपन

27.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड परामर्शदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में लिखित रूप से परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है। यदि परामर्शदाता की राय में, ऐसे किसी परिवर्धन या परिवर्तन से कार्य को पूरा करने की

समय–सीमा या शुल्क पर प्रभाव पड़ सकता है तो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को तदनुसार इसकी सूचना दी जाएगी और इसे आपस में मिलकर निपटाया जाएगा। लेकिन परामर्शदाता अंतिम निपटान, यदि कोई हो, किए जाने तक इस कार्य को करता रहेगा।

27.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को यह अधिकार है कि वह परामर्शदाता द्वारा किए जाने वाले कार्य की सेवाओं के क्षेत्र में से किसी मद/मदों या उसके किसी भाग का विलोपन कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड परामर्शदाता को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके प्राप्त होने पर परामर्शदाता आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निदेशित आवश्यक कार्रवाई करेगा और इस प्रकार विलोपित कार्य की मद/मदों के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए कोई खर्च नहीं करेगा और ऐसी सेवाओं को रोक देगा।

27.3 कार्य की विलोपित मद (मदों) के संबंध में तदनुरूपी शुल्क का आकलन संविदा में अभिनिर्धारित शुल्क के आधार पर किया जाएगा और इसे संविदा के अधीन परामर्शदाता को देय फीस में से घटाया जाएगा। लेकिन परामर्शदाता उस कार्य और सेवाओं की मात्रा के संबंध में क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, जो उसने परस्पर स्वीकृत शुल्क पर कार्य से विलोपित मद या मदों के संबंध में पहले ही निष्पादित कर दी है।

28.0 अधित्यजन नहीं

यदि स्वामी किसी भी मामले में सौंपे गए कार्य की शर्तों के सख्ती से निष्पादन पर जोर नहीं देता तो यह नहीं माना जाएगा कि इसका परित्यजन कर दिया गया है या तब तक के लिए इसे छोड़ दिया गया है जब तक यह कार्य अमल में है। इस समनुदेशन के अधीन इसकी जिम्मेदारी से परामर्शदाता को मुक्त नहीं किया जाएगा।

29.0 अनुदेश और नोटिस

सभी नोटिस आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की ओर से दिए जाएंगे और सभी अन्य कार्य प्रभारी इंजीनियर या उस अधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे, जिसे उस समय यह कार्य/ दायित्व सौंपे गए हों और प्रभारी इंजीनियर के अधिकार प्रदान किए गए हों।

सभी अनुदेश, नोटिस और पत्र आदि लिखित रूप में दिए जाएंगे और यदि उन्हें परामर्शदाता के कारोबार के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक/ स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि उन तारीखों को इनकी तामील हो गई है, जिसमें सामान्य रूप से डाक से ये पत्र उसे प्राप्त होते हैं।

30.0 दिवालियापन

यदि परामर्शदाता दिवालिया हो जाएगा या अपने ऋणदाताओं के साथ या अपने निगम के कारण दिवालिया हो जाता है, जिसमें स्वेच्छा से ऋणदाताओं या उनमें से किसी के साथ उसे मिलाया नहीं जाता है या उसका पुनर्गठन नहीं किया जाता है या उनके साथ

कारोबार नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति छोड़कर, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को निम्नलिखित स्वतंत्रता होगीः

1. परामर्शदाता को लिखित नोटिस दिए बिना तत्काल कार्य समाप्त कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य का समापक या प्राप्तकर्ता बना सकता है, जो परामर्शदाता की अपेक्षाएं पूरी करता हो।

2. वह ऐसे व्यक्ति, परिसमापक, प्राप्तकर्ता या अन्य व्यक्तियों को यह विकल्प दे सकता है कि वे परामर्शी कार्य को करते रहें बशर्ते कि वे आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित रकम लेकर कार्य को उचित रूप से और निष्ठापूर्वक निष्पादित करने के लिए गारंटी देते हैं।

31.0 प्रगति रपोर्ट

31.1 परामर्शदाता आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को साप्ताहिक रूप से प्रगति रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रगति और स्थिति का उल्लेख किया जाएगा। इसमें ऐसे चार्ट, नेटवर्क और फोटोग्राफ, यदि कोई हों, शामिल होंगे, जिनके संबंध में आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निदेश दिए गए हों। परामर्शदाता द्वारा प्रगति रिपोर्टों के फार्मेटों का मसौदा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाएगा।

31.2 यह समझा जाता है कि आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने और उनकी समीक्षा किए जाने के बाद भी परामर्शदाता अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता है कि वह उसमें उल्लिखित समय–अनुसूची के अनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

32.0 कार्य–निष्पादन का तरीका

32.1 परामर्शदाता अपनी बोली के साथ अपने संगठन का चार्ट और उस तरीके का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा, जिस तरीके से वह कार्य का सफल निष्पादन करना चाहता है। परामर्शदाता और उसके संगठन चार्ट में ऐसे मुख्य कार्मिकों के नामों का उल्लेख किया जाएगा, जिन्हें परियोजना के प्रत्येक क्रियाकलाप के संबंध में काम पर लगाया जाएगा और इसमें उनके वैयक्तिक विवरण भी दिए जाएंगे। इसमें उनके कार्य और अनुमानित श्रमदिवसों का उल्लेख करते हुए, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का भी अलग से उल्लेख किया जाएगा। परामर्शदाता इस कार्य के अधीन किए जाने वाले मुख्य कार्मिकों के कार्यस्थल दौरों की संख्या का भी उल्लेख करेगा।

32.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में 2(दो) महीने में नियमित रूप से कार्य समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इंजीनियरी समन्वय और परामर्शी समन्वय की प्रक्रिया पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कार्य अवार्ड किए जाने के पहले की अवस्था में ही इसका अलग से निर्णय लिया जाएगा।

33.0 पत्राचार और संविदा समन्वय प्रक्रिया

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

33.1 कार्य अवार्ड करने की पहली अवस्था में संविदा के कार्य–निष्पादन के दौरान सभी पत्राचार निम्नलिखित तरीके से किए जाएंगेः

33.2 परामर्श में विनिर्देशों के अनुसार संविदा के निष्पादन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों के संबंध में प्रभारी इंजीनियर से सीधे बातचीत की जाएगी।

31.1.0 स्वामी द्वारा किए गए सभी पत्राचार के मामले में परामर्शदाता द्वारा नामित और स्वामी द्वारा स्वीकृत एक पूर्णकालिक समन्वय कर्ता समन्वय करेगा।

34.0 परामर्शदाता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण

परामर्शदाता कार्यस्थल और उसके आस–पास के स्थानों का निरीक्षण और जांच करेगा और इस संबंध में अपना समाधान करेगा कि कार्यस्थल का रूप और प्रकृति कैसी है, कार्य की मात्रा और प्रकृति कैसी है और इसमें किस प्रकार के उपस्करों/सामग्री की आवश्यकता है और इसमें क्या जोखिम, आकस्मिकता और परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके कारण बोली प्रस्तुत करने से पहले उसके टेंडर पर प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

35.0 जनशक्ति को काम पर लगाना

परामर्शदाता सुयोग्य और अनुभवी इंजीनियरी/ वैज्ञानिक कार्मिकों और नक्शानवीशों को इस कार्य के लिए काम पर लगाएगा। इस कार्य पर लगाए जाने वाली प्रस्तावित जनशक्ति के संबंध में परामर्शदाता द्वारा उनके कार्य–वार और श्रेणी–वार (इंजीनियर/वैज्ञानिक और नक्शानवीश के संबंध में) दोनों के बारे में अपने प्रस्ताव में गारंटी देगा, जिन्हें विशिष्टियों में उल्लिखित कार्य सहित सेवाओं को पूरा करने के लिए काम पर लगाया जाएगा। परामर्शदाता पूर्णकालिक सर्वकार्य समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों को कार्य पर लगाएगा और परामर्शी कार्य की समस्त अवधि के दौरान आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ सभी प्रकार की बातचीत करने के लिए उन्हें कहेगा। कार्य बल में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित इंजीनियरी/वैज्ञानिक कार्मिकों को व्यक्तिगत विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावित कार्य बल के संबंध में स्वामी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। स्वामी, यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित स्थान पर इंजीनियर/वैज्ञानिक के उपयुक्त प्रतिस्थानी के बारे में निर्देश दे सकता है।

36.0 उपस्कर/उपकरणों की सूची

बोलीदाता अपने पास और/या अपने सहयोगी (सहयोगियों)/प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध ऐसे उपकरणों/उपस्करों की सूची भी उपलब्ध कराएगा, जिन्हें अध्ययन के अलग–अलग क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा, बोलीदाता अनुसूची–4 में इस अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रस्तावित उपस्करों की सूची का भी उल्लेख करेगा।

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड इस पैकेज या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परामर्शदाता द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी प्रकार के उपस्कर/सहायक यंत्रों के संबंध में अतिरिक्त अदायगी नहीं करेगा।

37.0 समन्वय प्रक्रिया

परामर्शदाता सेवाओं के निष्पादन के संबंध में स्वामी के साथ विस्तृत समन्वय प्रक्रिया का अपने प्रस्ताव में उल्लेख करेगा। इस संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उससे सभी कार्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा और उनमें निरंतरता बनाए रखी जाएगी। महत्त्वपूर्ण निर्णयों में स्वामी की भागीदारी स्वामी द्वारा वांछित सीमा तक आवश्यक होगी। स्वामी और परामर्शदाता के बीच होने वाली समन्वय प्रक्रिया और समन्वय अनुसूची की समीक्षा बैठकों में संविदा अवार्ड किए जाने से पहले इन पर चर्चा की जाएगी और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

38.0 सहयोग

परामर्शदाता विभिन्न प्रयोगशालाओं, संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग का पूरा विवरण देगा और उनसे इस कार्य के संबंध में अध्ययन कार्य पूरा होने तक दिए जाने वाले सहयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से सहमति पत्र भी प्रस्तुत करेगा। इस सहमति पत्र में यह घोषणा होनी चाहिए कि सहयोगकर्ता द्वारा दी गई सहमति अंतिम है और यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने तक जारी रहेगी इस प्रस्ताव में उनके उन दायित्वों और कार्यों का भी उल्लेख होगा, जिन्हें सहयोगी/सहयोगियों द्वारा किया जाना है। सहयोगियों के सहमति–पत्र भी बोली के साथ संलग्न किए जाएंगे।

39.0 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ संबंध

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड संपूर्ण अध्ययन या उसके किसी भाग के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने इंजीनियर/प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त कर सकता है। यह इंजीनियर/प्राधिकृत प्रतिनिधि पूछे जाने पर, आवश्यक सूचना उपलब्ध करेगा। इसके अलावा, वह फील्ड और प्रयोगशाला संबंधी क्रियाकलापों को मॉनीटर करेगा और दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के संबंध में पर्यवेक्षण करेगा। ये इंजीनियर अध्ययन के परिणामों पर भी चर्चा करेंगे और विभिन्न मामलों को अध्ययन बनाने के लिए देंगे। परामर्शदाता आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के इंजीनियरों/प्रतिनिधियों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि वे कार्य में उपयोगी रूप से भागीदार बन सकें। परामर्शदाता ईआईसी को खंडों/दस्तावेजों के प्रारूप के सभी अध्ययनों के परिणामों को प्रस्तुत करेगा ताकि ईआईसी द्वारा सुझाए गए परिवर्तन/आशोधन/परिवर्धन/बदलाव को शामिल करने के बाद अंतिम दस्तावेज तैयार किया जा सके।

40.0 भाषा

प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेज, विनिर्देश, अनुसूचियां, नोटिस, पत्राचार, प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी अनुदेश, आरेख या इस कार्य से संबंधित कोई अन्य लिखित सामग्री अंग्रेजी भाषा में होगी।

41.0 यूनिट और भारतीय मानक/ कोड/ विनियम

जहां कहीं भारतीय मानक, कोड और विनियम लागू होंगे, उन्हें परामर्शदाता द्वारा अपनाया जाएगा और उनका पालन किया जाएगा। यदि क्षेत्र विशेष में ऐसे कोई भारतीय मानक/

कोड/विनियम उपलब्ध न हों, तो अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू और स्वीकार किया जाएगा।

42. स्वामी के अधिकार

निम्नलिखित के संबंध में स्वामी के अधिकार सुरक्षित होंगेः

(क) बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को रद्द करना।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव को रद्द करना, जिसमें कार्य के क्षेत्र के लिए अपेक्षित सूचना पूरी न दी गई हो।

(ग) परामर्शदाता द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा के लिए स्वयं या अपने द्वारा कोई अन्य परामर्शदाता अलग से नियुक्त करना और परामर्शदाता द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगना और कार्य में परिवर्तन/आशोधन करना। इस प्रकार के परिवर्तनों पर आपस में चर्चा की जाएगी और बिना किसी लागत के मालिक और परामर्शदाता द्वारा इन्हें स्वीकार किया जाएगा और इसके संबंध में मालिक की कोई देयता नहीं होगी और इससे परामर्शदाता की जिम्मेदारियां भी कम नहीं होंगी।

43.0 यात्रा व्यय

इन विनिर्देशों के क्षेत्र के बारे में अध्ययन के संबंध में कार्यस्थल या आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के कार्यालय या किसी अन्य जगह यात्रा करने के लिए परामर्शदाता के कार्मिकों द्वारा किए गए यात्रा व्यय को परामर्शदाता द्वारा वहन किया जाएगा और इस संबंध में स्वामी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

44.0 परामर्शदाता के कार्यालय/कार्यस्थल तक पहुंच

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को परामर्शदाता के और/या इसके सहयोगियों के कार्य परिसर या कार्यस्थल पर इस कार्य के दौरान जाने की अनुमति होगी ताकि वे परामर्शदाता से कार्य की प्रगति के बारे में पूछ सकें, उसका निरीक्षण और जांच कर सकें।

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर – शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन–1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी – समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली

के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए

तकनीकी विनिर्देशन और

रिपोर्ट तैयार करना

खंड–III

विषय – वस्तु

खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य सूचना और कार्य का क्षेत्र	
2.	ट्रांसमिशन लाइनों का रूट अलाइनमेंट	
3.	टावर शेड्यूलिंग	
4.	कानूनी विनियम और मानक	
5.	समापन अवधि	
6.	किए जाने वाले कार्य	
	अनुबंध–क : परियोजना रिपोर्ट की विषय–वस्तु	
	अनुबंध–ख : ट्रांसमिशन लाइनों के टावरों का सामान्य विवरण	

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण विनिर्देश और रिपोर्ट तैयार करना

1. सामान्य सूचना और कार्य का क्षेत्र

1.1 तकनीकी विनिर्देश में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के रूट अलाइनमेंट सहित आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शामिल है।

दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर – शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन–1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी – समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली

रायचूर – शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन–1

ट्रांसमिशन लाइन

क्रम सं.	योजना/ ट्रांसमिशन कार्य	प्रति चरण कंडक्टर	अनुमानित लाइन की लंबाई (किलोमीटर में)
1.	रायचूर – शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन–1	4Xबर्सिमिस	230

1.2 कार्य के क्षेत्र में उल्लिखित मात्रा अनंतिम हैं । रूट अलाइनमेंट और सर्वेक्षण (मात्रा "किलोमीटर" यूनिट में) के संबंध में अंतिम मात्रा अधिकतम रूट अलाइनमेंट सहित रूट की लंबाई होगी। ठेकेदार द्वारा रूट का अलाइनमेंट इसमें तय किए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

1.3 ठेकेदार को यह नोट करना चाहिए कि सर्वेक्षण के दौरान ठेकेदार के कार्य के कारण संपत्तियों, वृक्षों आदि को हुई हानि या नुकसान के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार को सर्वे कार्य के दौरान संपत्तियों, पेड़ों आदि को होने वाली हानि या नुकसान के लिए स्वामी को दोषमुक्त रखना होगा ।

1.4 ठेकेदार को यह भी नोट करना चाहिए कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई एनआरएसए सैटेलाइट छवि या फोटोग्राफिक नक्शे स्वामी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। बोलीदाता अपनी बोली के साथ अपनी टिप्पणी के एक–एक खंडों को अपनी बोली के साथ प्रस्तुत करेगा, जिनमें तकनीकी विनिर्देशों के सभी खंडों के संबंध में उसकी पुष्टियों/ टिप्पणियों/प्रेक्षणों का उल्लेख किया जाएगा।

1.5 ठेकेदार द्वारा यह कार्य आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। बोलीदाता अपने प्रस्ताव में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पूरा विवरण देगा। इसमें वह अपने उन उपस्करों, सुविधाओं और सॉफ्टवेयरों का उल्लेख करेगा, जो बोलीदाता या उसके सहयोगियों के पास उपलब्ध हों और इमेज प्रोसेसिंग में काम आएं

1.6 इस विनिर्देश में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए गए अन्य क्रियाकलाप, लेकिन जो कार्य के क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपेक्षित हों, के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे परामर्शदाता के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं और उसके संबंध में स्वामी को लागत की कोई अलग अदायगी नहीं करनी होगी।

1.7 कार्यस्थल का विवरण

बोलीदाता भू–क्षेत्र आदि के संबंध में जानकारी लेने के लिए कार्यक्षेत्र का दौरा कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए वे आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी),
3री मंजिल, पालिका भवन,
सेक्टर–13, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली–110066
ई–मेल : vijay.vksigh@gmail.com
दूरभाष : (011) 24102584, 24102321, फैक्स : (011) 24102576, 24102569

2.1 पारेषण लाइन का रूट अलाइनमेंट

रूट का अलाइनमेंट एनआरएसए (पैन और एलआईएसएस–III, जिसमें 1:25,000 पैमाने के अनुरूप मिनिमम रिजोल्यूशन का उत्पाद शामिल किया गया हो) और इसमें भारतीय सर्वेक्षण के टोपोग्राफिकल नक्शे (मानक 1:50,000) के सैटेलाइट इमेजों का उपयोग किया जाएगा । यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे डिजिटाइज्ड फार्म में उपलब्ध हों तो ठेकेदार द्वारा केवल उन्हीं को प्राप्त करके इस्तेमाल करेगा । ठेकेदार रूट अलाइनमेंट के तीन विकल्पों का पता लगाएगा और उसकी जांच करेगा और टर्मिनल पाइंट के बीच सर्वोत्तम रूट अलाइनमेंट के बारे में स्वामी को सुझाव देगा।

2.2 पारेषण रूट लाइन की अपेक्षाएं

2.2.1 पारेषण रूट लाइन का अलाइनमेंट निर्माण और अनुरक्षण की दृष्टि से बहुत अधिक किफायती होना चाहिए।

2.2.2 संरक्षित/ आरक्षित वन क्षेत्र से पारेषण लाइनों की रूटिंग से बचा जाना चाहिए। यदि इन वनों या क्षेत्र से बचना संभव न हो या उस क्षेत्र में बहुत अधिक पेड़ हों तो समग्र किफायत को ध्यान में रखते हुए, रूट इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि पेड़ कम से कम काटने पड़ें।

2.2.3 रूट ऐसा होना चाहिए कि वह बड़ी–बड़ी नदियों, रेल लाइनों, राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्गों, ऊपरी ईएचवी पावर लाइनों और संप्रेषण लाइनों के ऊपर से कम से कम गुजरे।

2.2.4 एंगल पाइंटों की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए।

2.2.5 विनिर्दिष्ट टर्मिनल पाइंट के बीच की दूरी यथासंभव कम रखी जाएगी, जो उस भू–भाग के अनुरूप हो, जहां ये पाइंट हों।

2.2.6 दलदल वाले ं और निचले क्षेत्र, नदियों और ढलानों से बचना चाहिए ताकि नींव का जोखिम कम से कम रहे।

2.2.7 अलाइनमेंट के लिए धरातल के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.2.8 पावर लाइनों के ऊपर से कम से कम गुजरा जाए। अलाइनमेंट को पावर लाइन से उपयुक्त दूरी पर रखा जाए ताकि लोअर वोल्टेज लाइनों के इंडक्शन की समस्या न रहे।

2.2.9 संप्रेषण लाइनों के ऊपर भी कम से कम गुजरा जाएगा और इसे सही कोण पर रखने की कोशिश की जाएगी। टेलीकॉम की लाइनों और उसके आसपास उसके समानांतर अलाइनमेंट कम से कम किया जाए ताकि उनके आपस में मिलने का खतरा न बना रहे।

2.2.10 नाला जैसे बाढ़ संभावित क्षेत्रों से बचना चाहिए।

2.2.11 सिविल और मिलिट्री एयरफील्ड जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचा जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इसे ऐसे स्थानों से दूर रखा जाए, जहां हवाई जहाज उतरते हों।

2.2.12 सभी अलाइनमेंट ऐसे होने चाहिए, जहां सूखे या बरसात के मौसम दोनों में आसानी से पहुंचा जा सके ताकि वर्ष भर अनुरक्षण कार्य किया जा सके।

2.2.13 खदान क्षेत्र, चाय, तंबाकू और केसर के खेतों जैसे कुछ क्षेत्रों और घने पेड़ों वाले स्थान, बगीचों और नर्सरियों से ये अलाइनमेंट दूर रखे जाने चाहिए ताकि निर्माण और अनुरक्षण के दौरान भूमि का अधिग्रहण करने या भूमि की सफाई करने में स्वामी के सामने कोई समस्या न आए।

2.2.14 एंगल पाइंट का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि लाइन निर्माण के समय 100 मीटर के आसपास इस पाइंट को स्थानांतरित करना संभव हो।

2.2.15 घनी बस्तियों, घनी आबादी के क्षेत्रों, जंगलों, पशु/पक्षी विहारों, आरक्षित कोयला क्षेत्रों, तेल पाइप लाइनों/भूमिगत ज्वलनशील पाइपलाइनों आदि से इस लाइन रूटिंग को यथासंभव दूर रखा जाए।

2.2.16 विशेष नीवं वाले क्षेत्र और बाढ़ संभावित क्षेत्र से बचा जाए।

2.2.17 वैकल्पिक स्थान की जांच करने और अति उपयुक्त रूट का अभिनिर्धारण करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपोग्राफिकल नक्शों और कंप्यूटर–समर्थित एनआरएसए के सैटेलाइट इमेजरी तैयार करने की प्रक्रिया के जरिए सूचना/डेटा/विवरण उपलब्ध और निकाल कर भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठेकेदार अतिरिक्त सूचना/डेटा/विवरण का

सत्यापन करने और एकत्र करने के लिए उस स्थान की टोह ले सकता है या वहां जा सकता है।

2.2.18 ठेकेदार अपनी प्रारंभिक टिप्पणियां और सुझाव विभिन्न सूचना/डेटा एकत्रित विवरण और सैटेलाइट इमेजरी डेटा, स्कैन फोटोग्राफिकल मैप डेटा के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें वैकल्पिक रूट आदि चिन्हित किए गए हों। वैकल्पिक रूटों का अंतिम मूल्यांकन स्वामी के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करके ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और सर्वोत्तम रूट अलाइनमेंट के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। टोपोग्राफिकल मैप और प्रक्रियागत सैटेलाइट डेटा से प्रति डेटा का उपयोग करके डिजिटल भू–भाग की मॉडलिंग चयनित रूट के ठकेदार द्वारा की जाएगी। उपयुक्त सॉफ्टवेयर (सॉफ्टवेयरों) का उपयोग करके एक छवि विकसित की जाएगी ताकि यदि अपेक्षित हो, चयनित रूट में और सुधार किया जा सके। प्रस्तावित रूट अलाइनमेंट के संबंध में ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल का दौरा और फील्ड सत्यापन किया जाएगा।

2.2.19 चयनित रूट के अलाइनमेंट के दोनों ओर 8 किलोमीटर तक सभी नदियों, रेल लाइनों, नहरों, सड़कों आदि सहित अद्यतन टोपोग्राफिकल और अन्य विवरण/ विशेषताएं रूट अलाइनमेंट ड्राइंग में अंतिम रूप से डिजिटाइज्ड फर्म में दी जाएंगी। ये तथा उपर्युक्त अन्य सूचना/ विवरणों वाली रिपोर्ट के साथ स्वामी के अनुमोदन के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

2.2.20 सभी एंगल पाइंट और अन्य महत्त्वपूर्ण क्रॉसिंग, लैंडमार्क आदि का समन्वयकों द्वारा जीपीएस उपकरणों का प्रयोग करते हुए, रिकार्ड रखा जाएगा। ऐसे सभी स्थानों के संबंध में अस्थायी लैंडमार्क जैसे चट्टान, बोल्डर्स, पुलिया आदि को सफेद पेंट से निदेशों सहित और आरईसी के चिन्हों सहित चिन्हित किया जाएगा।

3.1.1 टावर अनुसूची

निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगाः

(क) स्पैन

किसी खंड की अधिकतम लंबाई मैदानी भू–भाग में 5 किलोमीटर और पहाड़ी भू–भाग में 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। एक खंड पाइंट में डीबी/बी टाइप या डीसी/सी टाइप या डीडी/डी टाइप टावरों, जो भी लागू होते हों, सहित टेंशन पाइंट दिए जाएंगे। सामान्य स्पैन 220 केवी लाइनों के लिए 350 मीटर, 400 केवी लाइनों के लिए 400 मीटर और 765 केवी लाइनों के लिए 450 मीटर समझा जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावरों का सामान्य विवरण संदर्भ के लिए अनुबंध–ख में दिया गया है।

(क) सड़क पार करना

सभी महत्त्वपूर्ण रोड क्रॉसिंग टावरों पर दोहरे सस्पेंस या टेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग्स लगाए जाएंगे, जो टावर के प्रकार पर निर्भर करेंगे।

(ग) रेलवे पार करना

ट्रांसमिशन लाइनों के मार्ग में पड़ने वाले सभी रेल क्रॉसिंग को ठेकेदार द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा।

i. इन क्रॉसिंगों के मामले में दोनों तरफ डीडी/डी प्रकार के टावर बनाए जाएंगे।

ii. क्रॉसिंग का स्पैन 300 किलोमीटर तक सीमित रखा जाएगा।

(क) नदी पार करना

नदी क्रॉसिंग के लिए सस्पेंशन/ टेंशन टावर के उपयुक्त प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। जिस नदी को पार न किया जा सके, उसके संबंध में उच्चतम बाढ़ स्तर के अनुसार क्लियरेंस का हिसाब लगाया जाएगा।

(ख) पावर लाइन पार करना

यदि उसी प्रकार की वोल्टता या कम वोल्टता की अन्य लाइनों के ऊपर से यह लाइन गुजर रही हो, तो डीए/ए टाइप का टावर उपयुक्त विस्तार सहित उपयोग में लाया जाएगा। भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, जैसाकि अब तक संशोधित है, के अनुसार इनके दूसरे ऊपरी लाइनों के संपर्क में न आने देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। क्रॉसिंग टावर की ऊंचाई को कम करने के लिए क्रॉस की जाने वाली लाइनों के भूमिगत वायर को हटाना उचित रहेगा (बशर्ते कि ऐसा करना संभव हो और क्रॉस की जाने वाली लाइनों के स्वामी द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो)।

क्रॉसिंग करने वाली प्रत्येक लाइन की दूरी (मीटर में) कम से कम इस प्रकार रखी जाएः

क्रम सं.	नॉमिनल सिस्टम बोल्टेज	110–132 केवी	220 केवी	4400 केवी	800 केवी
1.	110–132 केवी	3.05	4.58	5.49	7.94
2.	220 केवी	4.58	4.58	5.49	7.94
3.	400 केवी	5.49	5.49	5.49	7.94
4.	800 केवी	7.94	7.94	7.94	7.94

132 केवी और उससे अधिक वोल्टता स्तर वाली पावर लाइन के क्रॉसिंग के लिए दोनों तरफ डीए/ए टाइप टावर का प्रावधान किया जाएगा जो सबसे अंतिम सिरे पर होगा और जिस पर तनाव बनाए रखा जाएगा।

ग. दूरसंचार लाइन पार करना

इन एंगलों को क्रॉस करने के लिए यथासंभव 90 डिग्री के आसपास दूरी रखी जाएगी। लेकिन विशेष रूप से कठिन स्थितियों में 30 डिग्री तक विचलन करने की अनुमति होगी ।

3.2 भूमि भवन, पेड़ों आदि से दूरी

भूमि भवन, पेड़ों और टेलीफोन लाइनों से दूरी भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, जो अब तक संशोधित की गई हैं, के अनुरूप रखी जाएगी।

3.2.1 ठेकेदार स्वामी को पेड़ों और फसलों की प्रतिपूर्ति की संभावित रकम आदि के बारे में अपने आकलन से सूचित करेगा, जो कार्य–निष्पादन की अवस्था के दौरान स्वामी द्वारा अदा की जाएगी। यह आकलन प्रचलित परिपाटियों/दिशानिर्देशों, स्थानीय विनियमों और स्थानीय अधिकारियों से अन्य पूछताछ करके किया जाएगा।

3.3 सर्वेक्षण रिपोर्ट

3.3.1 प्रत्येक एंगल पाइंट की अवस्थिति विस्तृत रेखाओं से दर्शाई जाएगी, जिसमें विशिष्ट पेड़ (पेड़ों), गौशालाओं, घरों, टयूबवैलों, मंदिरों, विद्युत खंभों/टावरों, टेलीफोन के खंभों, नहरों, सड़कों, रेल लाइनों आदि जैसे स्थायी लैंडमार्क्स को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। एंगल पाइंट और उससे संबंधित मदों से लैंडमार्क की संगत दूरी को रेखाओं से दर्शाया जाएगा। ये विवरण सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

3.3.2 रास्ते में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के विवरण रूट की बाध्यकारिताओं आदि का अभिनिर्धारण और स्पष्टीकरण के संदर्भ में भी सूचना सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी जाएगी और इसके अलावा निम्नलिखित में भी शामिल की जाएगीः

3.3.2.1 ऐसी सभी टिप्पणियां, जिन्हें ठेकेदार द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए उपयोगी समझा जाएगा, कार्य के क्षेत्र के अधीन उनका उल्लेख किया जाएग।

3.3.2.2 लाइनों के कुछ भागों के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों से अनापत्ति लेनी होती है। ठेकेदार इस प्रकार की लाइनों के भाग के बारे में, अनापत्ति लेने की प्रकृति और स्थानीय निकाय, नगर परिषद, डाक तार विभाग (सर्किल का नाम), भूमि, परिवहन, सिंचाई विभाग, विद्युत बोर्ड और जोनल रेलवे, प्रभागी वन प्राधिकारियों आदि जैसे संबंधित संगठनों के नाम का उल्लेख करेगा।

3.3.3 सर्वेक्षण रिपोर्ट की 6 प्रतियां दो सॉफ्ट प्रतियों के साथ ठेकेदार द्वारा मालिक को प्रस्तुत की जाएंगी।

4. कानूनी विनियम और मानक

4.1 कानूनी विनियम

ठेकेदार विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 2003, यथासंशोधित भारतीय विद्युत विनियमावली, 1956 और अन्य लागू स्थानीय नियमों और विनियमों में उल्लिखित स्थानीय कानूनी विनियमों का पालन करेगा।

5.0 आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण की समापन अवधि और रिपोर्ट तैयार करना

ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वैकल्पिक रूट अलाइनमेंट प्रस्तुत करने, मालिक के साथ परामर्श करके ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वोत्तम रूट अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने, सर्वोत्तम रूट के सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने, रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत करने, अंतिम रिपोर्ट (जिसमें टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त होने के अंदर 15 दिन के अंदर स्वामी की टिप्पणियां/सुझावों को विधिवत शामिल करके) आदि **अवार्ड पत्र के तीन महीने के अंदर** पूरा किया जाएगा, क्रियाकलापों के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होंगेः

आरईसीटीपीसीएल को रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत करना	अवार्ड पत्र की तारीख से दो महीने के अंदर
आरईसीटीपीसीएल द्वारा मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियां/ सुझाव	मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर
किए जाने वाले सभी कार्यों सहित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना	15 दिन के अंदर (समापन की कुल अवधि 3 माह)

6.0 परामर्शदाता के कार्यक्षेत्र में आवेदन–पत्र भरने में सहायता करना, संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना/ समन्वय करना और वन विभाग से अनापत्ति लेने, रेल पार करने के संबंध में अनापत्ति लेने, पीटीसीसी की अनापत्ति लेने (विद्युत और दूरसंचार लाइनों के पार करने के संबंध में), नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति लेने, रक्षा विभाग से अनापत्ति लेने, यथा अपेक्षित अन्य अनापत्ति लेने, जिसमें आवेदन–पत्र दाखिल करने और आरईसीटीपीसीएल द्वारा आशय–पत्र जारी करने तक और ट्रांसमिशन सेवा करार पर ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षर किए जाने तक सभी कार्य शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी क्रियाकलाप बोलीदाता द्वारा तब तक सफलतापूर्वक किए जाएंगे जब तक आशय–पत्र जारी नहीं किया जाता और ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के साथ सभी करारों पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते। परियोजना से संबंधित यथास्थिति प्राप्त किए गए विवरण और दस्तावेज 'जैसा है, जहां है की स्थिति में टीएसपी को सौंपे जाएंगे ताकि टीएसपी सहमति, अनापत्ति और अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे कार्रवाई कर सके।

बोलीदाता कृपया नोट करें कि कृष्णापट्टनम के साथ जुड़ी प्रणाली के लिए विकासकर्ता के चयन की अनुमानित अवधि अवार्ड पत्र के जारी होने की तारीख से 8 माह है। लेकिन इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और आरईसीटीपीसीएल द्वारा सभी क्रियाकलापों को पूरा करने का कार्य (चयनित विकासकर्ता द्वारा सभी करारों के चयनित विकासकर्ताओं को शेल कंपनी अंतरित किए जाने और उस पर हस्ताक्षर किए जाने), उपर्युक्त क्रियाकलापों को बंद करने का समय होगा। यदि वास्तविक समापन की अवधि उपर्युक्त अभिनिर्धारित अवधि (अर्थात 8 महीने) से अधिक हो, तो परामर्शदाता यह कार्य बिना अतिरिक्त लागत और शुल्क के करेगा।

7.0 परामर्शदाता आरईसीटीपीसीएल द्वारा सूचित संभावित विकासकर्ताओं या अन्य एजेंसियों के साथ बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेगा ताकि कृष्णापट्टनम यूएमपीपपी –

रायचूर–शोलापुर एस/सी लाइन–1 से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए विकासकर्ता का चुनाव करने की बोली प्रक्रिया के दौरान सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके।

8.0 किए जाने वाले कार्य

8.1 परामर्शदाता परस्पर स्वीकार किए गए फार्मेट के अनुसार सभी कार्यों/अध्ययनों/सर्वेक्षणों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8.2 परामर्शदाता अपेक्षित योजनाओं और आरेखों के साथ अंग्रेजी भाषा में मसौदा रिपोर्ट की 3 (तीन) प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

8.3 परामर्शदाता अपेक्षित योजना आरेखों सहित अंतिम रिपोर्ट की दस (10) प्रतियां अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेगा। मसौदा रिपोर्ट पर आरईसीटीपीसीएल की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट और आरेख (टाइप प्रति और सॉफ्ट प्रति) विशिष्टियों के अनुसार अंतिम रूट के चयनित बिंदुओं के जीपीएस समन्वयकों सहित भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

8.4 परामर्शदाता इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और एक लाइसेंस की आपूर्ति भी करेगा।

8.5 दो (2) सॉफ्ट प्रति (सीडी) भी आरेखों सहित रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

8.6 सभी अध्ययनों, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों के कच्चे आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

8.7 सभी रिपोर्टें ए–4 आकार के पन्नों में उचित रूप से जिल्दबंद करके और अच्छी गुणवत्ता वाले कागज तथा सामग्री में मुद्रित करके प्रस्तुत की जाएगी।

8.8 परामर्शदाता इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और ऐसे लाइसेंस की प्रति भी देगा, जिसका उपयोग समुचित रूट के अलाइनमेंट के चयन के लिए भू–भाग की गुणवत्ता के चयन में जीआईएस और त्रि–आयामी एक्सट्रेक्टिंग वेक्टर मैप के लिए किया जाएगा।

8.9 यदि अंतिम रिपोर्ट अनापत्ति के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत की जानी हो तो यह जिम्मेदारी भी परामर्शदाता की होगी।

8.10 तकनीकी विनिर्देशों में यथापरिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार किए जाने वाले अन्य कार्य (खंड–III)

अनुबंध–क

रिपोर्ट संबंधी कार्य की विषय–सूची

विवरण

1. परियोजना की मुख्य–मुख्य बातें
2. संक्षिप्त पृष्ठभूमि
3. कार्य का क्षेत्र
4. परियोजना का पूरा तकनीकी विवरण, जिसमें ट्रांसमिशन प्रणाली और उपस्करों के तकनीकी मानदंड दिए गए हों।
5. तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा का दबाव और हवा की दिशा जैसे मौसम संबंधी आंकड़े।
6. **ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित विवरण**
   - क. सर्वेक्षण रिपोर्ट विनिर्देशों में दिए गए कार्य का क्षेत्र और सभी नक्शे और अन्य संलग्नक, जिनमें ट्रांसमिशन लाइन के रास्ते में पड़ने वाले विवरण भी शामिल हों।
   - ख. पुरातत्त्व महत्त्व के स्थान, नदियां, नहरें, एस्चुएरी, समुद्र, पहाड़/ पर्वत आदि।
   - ग. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या पर्यटन के महत्व के स्थान।
   - घ. रक्षा संस्थान।
   - ड. रेलवे क्रॉसिंग
   - च. पावर लाइन/ टेलीकॉम लाइन क्रॉसिंग!
   - छ. भूमि की उपलब्धता (यदि अर्जन अपेक्षित हो)
     - i. उपलब्ध भूमि की सीमा
     - ii. भूमि के उपयोग का तरीका (कृषि, बंजर, जंगल आदि)
     - iii. भूमि का स्वामित्व (सरकारी, निजी, आदिवासी, गैर–आदिवासी आदि)
   - ज. पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू
     - i. वन वाला क्षेत्र/ अनापत्ति
     - ii. सामाजिक मुद्दे / आर एवं आर उपाय
7. कोई अन्य विवरण

अनुबंध–ख

ट्रांसमिशन लाइनों के टावरों का सामान्य विवरण

1. टावरों का प्रकार

2. क्वाड बर्सिमिस कंडक्टर सहित 765 केवी एसी लाइनें

टावर का प्रकार	विपथन सीमा	प्रयोग का प्रकार
क	0 डिग्री	टैनजेंट टावर के रूप में प्रयोग करने के लिए
ख	0 डिग्री – 5 डिग्री	सस्पेंस टावर के रूप में प्रयोग करने के लिए
ग	0 डिग्री – 15 डिग्री	सस्पेंस टावर के रूप में प्रयोग करने के लिए
घ	15 डिग्री – 30 डिग्री	टेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग सहित एंगल टावर, जिसका प्रयोग सेक्शन टावर या ट्रांसपोजिशन टावर के रूप में किया जाएगा।
ड.	30 डिग्री – 60 डिग्री	क) टेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग सहित एंगल टावर ख) लाइन और सब–स्टेशन की तरफ दोनों ओर 0 डिग्री से 15 डिग्री विचलन सहित अंतिम बिंदु (स्लैक स्पैन) ग) लाइन की ओर क्रॉसिंग साइड और 0 डिग्री–30 डिग्री कोण पर 0 डिग्री विचलन सहित नदी क्रॉसिंग के लिए एंकर टावर

अनुबंध–1

कार्य–निष्पादन सुरक्षा के संबंध में प्रोफार्मा

संदर्भ सं. ———————————— बैंक गारंटी सं. ————————————

दिनांक ————————————————

सेवा में,

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

————————————————————

————————————————————

प्रिय महोदय,

1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद "मालिक" कहा जाएगा, जिसमें जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी शामिल हैं) संविदा सं.———————————— दिनांक ———————— (जिसे इसमें इसके बाद 'संविदा' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में इसमें किए गए सभी संशोधन भी शामिल हैं) मैसर्स ————————, जिसका पंजीकृत/प्रधान कार्यालय ———————————————— में स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद 'परामर्शदाता' कहा जाएगा, जिस शब्दावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, के अर्थ में उसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक, कार्यपालक और समनुदेशिती भी शामिल हैं) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा इसे स्वीकार करने पर यह विचार करने के कारण कि ठेकेदार आरईसी को समस्त संविदा को निष्ठापूर्वक करने के लिए भारतीय रुपए/ अमेरिकी डालर ———————————— की निष्पादित गारंटी प्रस्तुत करेगा, के साथ संविदा निष्पादित करता है।

2. हम ———————————— (बैंक का नाम) ———————————— कानून के अधीन पंजीकृत हैं और हमारा प्रधान/पंजीकृत कार्यालय ———————————— में स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके सभी उत्तरवर्ती, प्रशासक, कार्यपालक और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) एतद्द्वारा यह गारंटी और वचन देते हैं कि हम ———————————— भारतीय रुपए (अंकों में) ———————————— भारतीय रुपए (शब्दों में) तक की कोई या सभी धनराशि लिखित रूप में पहली बार मांग किए जाने पर तत्काल अदा कर देंगे। इसमें हम संविदा के संदर्भ में कोई विलंब, अपवाद, प्रतिस्पर्धा या विरोध और/या किसी अन्य संदर्भ के बिना अदा करेंगे। लिखित नोटिस भेज कर बैंक

से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर यह मांग हम पर लागू और आबद्धकर होगी। इस संबंध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी और/या किसी अन्य मामले या किसी बात के होते हुए, जिसके अधीन विद्यमान देयताएं पुरानी या कालातीत हो गई हों, इस रकम की देय अदायगी के बारे में बैंक बिना कोई सबूत मांगे आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को अदा करेगा।

हम इस बात के लिए भी सहमत हैं कि इसमें दी गई गारंटी निरस्त नहीं होगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में इसे अदा नहीं कर दिया जाता। यह गारंटी संविदा के परिसमापन, बंद होने, समाप्त होने या दीवालिया होने पर भी प्रभावी या रद्द नहीं होगी या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और यह बैंक पर विधिमान्य आबद्धकर और सक्रिय रहेगी।

3. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड अपनी इच्छा से मुख्य देनदार के रूप में बैंक से इस गारंटी को लागू कराने का हकदार होगा। पहली बार में यह गारंटी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई किए बिना और ठेकेदार के दायित्व के संबंध में किसी प्रतिभूति या अन्य गारंटी के होते हुए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को देय होगी।

4. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि आरईसी टीपीसीएल इस बात के लिए भी स्वतंत्र होगा कि वह हमारी सहमति के बिना और इसके अधीन हमारे दायित्वों पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त संविदा (संविदाओं) में परिवर्तन कर सकता है और समय–समय पर उपर्युक्त संविदा (संविदाओं) द्वारा कार्य–निष्पादन के समय को बढ़ा सकता है या उपर्युक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) के खिलाफ आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में निहित किसी भी शक्ति का किसी भी समय या किसी भी समय से परिवर्तित कर सकता है और उस स्थिति में भी हम ऐसे परिवर्तन के कारणों से अपनी देयता से मुक्त नहीं होगे या उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) का समय बढ़ाए जाने अथवा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के किसी स्थगन, कार्य या विलोपन अथवा इस संविदा (संविदाओं) में आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की अंतरग्रस्तता या किसी ऐसे मामले के, जो प्रतिभूति से संबंधित कानून के अधीन हो लेकिन इस प्रयोजन के लिए हमें हमारे दायित्व से मुक्त करता हो, से प्रभावित नहीं होगी।

5. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि इसमें दी गई गारंटी संविदा के कार्य–निष्पादन के लिए तय की गई अवधि के दौरान लागू रहेगी और इस संविदा के अधीन या के कारण आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को देय सभी रकम की पूर्ण अदायगी की जाएगी और इसके दावों या अदायगी या जब तक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड लिखित रूप में इस गारंटी को समाप्त नहीं कर देता, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी।

6. यह गारंटी हमारे गठन, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के गठन या ठेकेदार के गठन में किसी परिवर्तन के कारण निष्प्रभावी नहीं होगी।

7. बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि यह गारंटी इस मुद्दे पर देश के समुचित कानून का पालन करते हुए जारी की गई है।

8. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि गारंटी पर भारतीय कानून के अनुसार नियंत्रण रखा जाएगा और उसे विनियमित किया जाएगा, परंतु इसमें क्रय आदेश जिस स्थान से दिया गया है, उस स्थान के भारतीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी।

9. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए इस गारंटी के अधीन हमारी देयता भारतीय रुपए/ (अंकों में) ———————————————— {भारतीय रुपए (शब्दों में) ————————————————} तक सीमित है और हमारी गारंटी —————————— 2010 तक और कार्य–निष्पादन प्रतिभूति जारी किए जाने की तारीख के बाद कम से कम 12 महीने तक लागू रहेगी। यदि संविदा की समय–सीमा में कोई वृद्धि की जाती है तो कार्य–निष्पादन गारंटी को भी समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

इस गारंटी के अधीन कोई भी दावा इस बैंक गारंटी की समाप्ति से पहले हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त तारीख तक हमें कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इस गारंटी के अधीन आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का अधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि यह दावा उपर्युक्त तारीख के अंदर हमें प्राप्त हो जाता है तो इस गारंटी के अधीन आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के सभी अधिकार विधिमान्य होंगे और तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक हम उस दावे को पूरा नहीं कर देते ।

इसके साक्षियों के रूप में बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आज दिनांक——————20——को ————————पर हस्ताक्षर किए हैं और मोहर लगाई है।

साक्षी सं. 1

—————————————   —————————————

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम और कार्यालय का पता
(स्पष्ट अक्षरों में)

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम और पदनाम और पता
(स्पष्ट अक्षरों में), बैंक की मोहर सहित

मुखतारनामा संख्या ....
.दिनांक ....
के अनुसार मुखतारनामा

साक्षी सं. 2

—————————————

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम और कार्यालय का पता
(स्पष्ट अक्षरों में)

संविदा करार का मसौदा

प्रारूप संविदा करार

यह संविदा (जिसे इसमें इसके पश्चात, इससे संलग्न और इसका अनिवार्य भाग होने वाले सभी परिशिष्टों सहित, संविदा कहा गया है) एक पक्षकार के रूप में ..... (जिसे इसमें इसके पश्चात "स्वामी" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में .....(जिसे इसमें इसके पश्चात "परामर्शदाता" कहा गया है) के बीच आज तारीख ..... 2010 को किया गया है।

चूंकि

(क) स्वामी, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र : रायचूर – शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन–1 को आपस में जोड़ने के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी – समकालिक से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को भाड़े पर लेने का आशय रखता है, जिसके लिए आरईसीटीपीसीएल को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है।

(ख) स्वामी ने इसमें इसके पश्चात यथा परिभाषित परियोजना के लिए अपेक्षित कतिपय परामर्शी सेवाएं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "सेवाएं" कहा गया है) प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं से अनुरोध किया है।

(ग) परामर्शदाता, स्वामी का प्रतिनिधित्व करने के बाद वे अपेक्षित व्यावसयिक कौशल, कार्मिक और तकनीकी संसाधन रखते हैं, इस संविदा में उपवर्णित निबंधनों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने का करार करते हैं।

अतः अब पक्षकार इसके द्वारा निम्नवत रूप में करार करते हैं:

1. साधारण उपबंध

1.1 परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित निबंधनों के जब कभी वे इस संविदा में प्रयोग किए जाते हैं, निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(क) "लागू विधि" से स्वामी के देश में विधि का बल रखने वाली ऐसी विधियां और कोई अन्य लिखत अभिप्रेत हैं, जो समय–समय पर जारी की जाएं और प्रवृत्त कराई जाएं;

(ख) "संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसके साथ सभी परिशिष्ट/ अनुलग्न हों और उनके अंतर्गत स्वामी और परामर्शदाताओं के बीच इसके खंड 2.5 के उपबंधों के अनुसार किए गए सभी उपांतरण भी हैं;

(ग) "प्रभावी तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस दिन संविदा इसके खंड 21 के अनुसरण में प्रवृत्त और प्रभावी होती है;

(घ) "कार्मिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिन्हें कर्मचारियों के रूप में परामर्शदाताओं द्वारा किराए पर लिया गया है और सेवाओं का उनके किसी भाग के निष्पादन के लिए समनुदेशित किया गया है;

(ड.) "पक्षकार" से, यथास्थिति, स्वामी या परामर्शदाता अभिप्रेत है;

(च) "सेवाओं" से परियोजना के प्रयोजनों के लिए इस संविदा के अनुसरण में परामर्शदाताओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य अभिप्रेत है, जो इसके परिशिष्ट 'क' में विहित किया गया है;

(छ) "आरंभ की तारीख" से इसके खंड 2.2 में निर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है;

(ज) "तृतीय पक्षकार" से स्वामी, परामर्शदाताओं या किसी परामर्शदाता से भिन्न कोई व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है।

1.2 पक्षकारों के बीच संबंध

इसके अंतर्विष्ट किसी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मालिक और सेवक के बीच या अभिकर्ता और स्वामी के बीच ऐसा संबंध स्थापित करती है जैसेकि स्वामी और परामर्शदाताओं के बीच संबंध हो। इस संविदा के अधीन रहते हुए, सेवाओं का निष्पादन करने वाले कार्मिक परामर्शदाता के संपूर्ण प्रभार साधन में आते हैं और उनके द्वारा या उसके अधीन उनकी ओर से निष्पादित सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

1.3 विधि शासी संविदा

यह संविदा, इसके अर्थ और निर्वचन तथा पक्षकारों के बीच संबंध भारतीय लागू विधि शासित होंगे।

1.4 भाषा

यह संविदा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित की गई है, जो इस संविदा अर्थ या निर्वचन के संबंध में सभी विषयों के लिए आबद्धकर और नियंत्रणकारी भाषा होगी।

1.5 शीर्षक

शीर्षक इस संविदा के अर्थ को सीमित, उसमें परिवर्तन और उसे प्रभावित नहीं करेंगे।

1.6 सूचनाएं

इस संविदा के अनुसरण में दिए जाने या किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात कोई सूचना, अनुरोध या सहमति लिखित में होगी। ऐसी किसी सूचना, अनुरोध या सहमति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जिसको संसूचना भेजी जाती है, व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किए जाने पर ही दी गई है या किया गया है या

जब वह रजिस्ट्रीकृत डाक, टेलेक्स, तार या अनुलिपि द्वारा निम्नलिखित पते पर ऐसे पक्षकार को भेजी जाती है:

स्वामी के लिए:
ध्यानार्थ ——————————————
अनुलिपि ——————————————

परामर्शदाताओं के लिए:

ध्यानार्थ ——————————————
अनुलिपि ——————————————

1.6.2 नोटिस निम्नवत रूप में प्रभावी समझी जाएगी:

(क) परिदान पर, निजी परिदान या रजिस्ट्रीकृत डाक की दशा में;
(ख) तार की दशा में, पुष्ट पारेषण के पश्चात छियानवे (96) घंटे; और
(ग) अनुलिपि की दशा में, पुष्ट पारेषण के पश्चात बहत्तर (72) घंटे।

1.6.3 पक्षकार इस खंड के अनुसरण में पते में ऐसे परिवर्तन की सूचना अन्य पक्षकार को देकर इसके अधीन नोटिस के लिए अपने पते में परिवर्तन कर सकेगा।

1.7 अवस्थिति

सेवाएं, दिल्ली में या ऐसे स्थान पर निष्पादित की जाएंगी, जहां स्वामी द्वारा अपेक्षित /अनुमोदित हो।

1.8 परामर्शदाताओं का प्राधिकार

परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत स्वीकार करने के लिए परामर्शदाताओं के संपूर्ण अधिकारों और बाध्यताओं, जिनके अंतर्गत स्वामियों से अनुदेशों और भुगतानों को प्राप्त करने की परिसीमा नहीं है, का प्रयोग करते हुए ..... को उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

1.9 प्राधिकृत प्रतिनिधि:

इस संविदा के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात की जाने वाली कोई कार्रवाई और निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात कोई दस्तावेज:

(क) स्वामी की ओर से ..... या उसके पदाभिहित प्रतिनिधि द्वारा

(ख) परामर्शदाताओं की ओर से ..... या उसके पदाभिहित प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी या दस्तावेज निष्पादित किया जा सकेगा।

1.10 कर और शुल्क

परामर्शदाता और कार्मिक इस संविदा के जीवन के दौरान विद्यमान, संशोधित या अधिनियमित विधियों के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों, फीसों, उदग्रहणों और उच्च अधिरोपणों

सहित करों (जिनमें सेवा कर नहीं है) का भुगतान करेंगे और स्वामी ऐसे कर की कटौती, जो विधिक रूप से अधिरोपित की जाए, के संबंध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

2.0 संविदा का प्रारंभ, सम्पादन, आशोधन और पर्यवसान

2.1 संविदा की प्रभावोत्पादकता

यह करार दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा।

2.2 सेवाओं का प्रारंभ

परामर्शदाता, तुरंत अर्थात एलओआई / अधिनिर्णय पत्र ("आरंभ करने की तारीख") के जारी किए जाने की तारीख से या ऐसी तारीख को, जिस पर पक्षकार लिखत में सहमत हों, सेवाएं देना आरंभ करेंगे।

2.3 संविदा की समाप्ति

जब तक इसके खंड 2.8 के अनुसरण में यह संविदा पहले ही समाप्त न कर दी गई हो, इसके उपबंधों के अनुसरण में वह तब समाप्त हो जाएगी जब सेवाएं पूरी कर दी गई हों और पारिश्रमिक तथा प्रतिपूर्ति योग्य व्ययों का संदाय कर दिया गया हो।

2.4 संपूर्ण करार

इस संविदा में पक्षकारों द्वारा करार किए गए सभी प्रसंविदा, अनुबंध और उपबंध अंतर्विष्ट हैं। किसी भी पक्षकार के अभिकर्ता या प्रतिनिधि को इसमें उपवर्णित न किए गए कथन, प्रतिवेदन, वचन या करार करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है और पक्षकार उनके द्वारा आबद्ध या उनके लिए दायी नहीं होंगे।

2.5 आशोधन

इस संविदा के निबंधनों और शर्तों के संशोधन जिनके अंतर्गत सेवाओं की परिधि का कोई आशोधन भी है, पक्षकारों के बीच लिखित करार द्वारा ही किया जा सकेगा और वे तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक पक्षकारों की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो। तथापि, इसके खंड 7.2 के अनुसरण में, प्रत्येक पक्षकार अन्य पक्षकार द्वारा किए गए संशोधन के लिए किन्हीं प्रस्तावों पर सम्यक विचार करेगा।

2.6 अपरिहार्य घटना

2.6.1 परिभाषा

इस संविदा के अधीन उनके द्वारा पालन की जाने वाली किसी बाध्यता का पालन करने के लिए अपरिहार्य घटना द्वारा किसी भी पक्षकार के असमर्थ हो जाने की दशा में, ऐसी अपरिहार्य घटना द्वारा प्रभावित पक्षकार की सापेक्ष बाध्यता ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर दी जाएगी, जिसके दौरान ऐसा कारण जारी रहता है।

इसमें यथा प्रयुक्त "अपरिहार्य घटना" से दैवी कार्य, युद्ध, सिविल दंगे, अग्नि जो संविदा के पालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, बाढ़ तथा दोनों पक्षकारों अर्थात आरईसीटीपीसीएल तथा परामर्शदाताओं की संबंधित सरकार के अधिनियम और विनियम अभिप्रेत होंगे।

ऐसे हेतुक के घटने पर तथा इसके समाप्त हो जाने पर, पक्षकार यह अभिकल्पन करते हुए कि वह उसके द्वारा पूर्वोक्त रूप में असमर्थ रहा है, अपरिहार्य घटना की कोटि में आने वाले हेतुक के आरंभ होने और हेतुक की समाप्ति के 72 घंटे के भीतर अन्य पक्षकार को सूचना देकर उक्त खंड की समाप्ति को क्रमशः लिखित में अन्य पक्षकार को अधिसूचित करेगा। यदि 2 (दो) मास से अधिक लंबी चलने वाली अपरिहार्य घटना की दशाओं द्वारा परिदान निलंबित कर दिए जाते हैं तो आरईसी को इस संविदाको उसकी ओर से किसी दायित्व के बिना स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का विकल्प होगा।

अपरिहार्य घटना द्वारा निलंबित सापेक्ष बाध्यता के पालन के लिए समय सीमा तब ऐसी अवधि तक बढ़ा दी जाएगी जाएगा, जिसके लिए ऐसा हेतु बना रहता है।

2.6.2 संविदा का भंग न होना

इसके अधीन पक्षकार के द्वारा उसकी बाध्यताओं में से किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता इस संविदा का भंग या इसके अधीन व्यतिक्रम तब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक ऐसी असमर्थता किसी अपरिहार्य घटना की दिशा में उद्भूत होनी होती हैं परंतु यह तब जब ऐसी घटना द्वारा प्रभावित पक्षकार ने इस संविदा के निबंधन और शर्तों का पालन करने के उद्देश्य से सभी युक्तियुक्त पूर्व सावधानियां, सम्यक सावधानी तथा युक्तियुक्त वैकल्पिक उपाय किए हैं।

2.6.3 किए जाने वाले उपाय

(क) अपरिहार्य घटना द्वारा प्रभावित कोई पक्षकार न्यूनतम विलंब के साथ इसके अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने की ऐसे पक्षकार की असमर्थता को दूर करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा।

(ख) अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्षकार ऐसी घटना के बारे में अन्य पक्षकार को ऐसी घटना की प्रकृति और हेतु का साक्ष्य देते हुए यथासंभव शीघ्र किसी भी दशा में ऐसी घटना के घटित हो जाने के चौदह (14) दिन के अपश्चात अधिसूचित करेगा और इसी प्रकार यथासंभव शीघ्र सामान्य दशाओं के प्रत्यावर्तन की सूचना देगा।

(ग) पक्षकार किसी अपरिहार्य घटना के परिणामों को न्यूनीकृत करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा।

2.6.4 समय विस्तार

कोई भी अवधि जिसके भीतर पक्षकार, इस संविदा के अनुसरण में, किसी कार्रवाई या कार्य को पूरा करेगा, वह ऐसी अवधि तक बढ़ाई जाएगी जो उस समय के बराबर है, जिसके दौरान ऐसा पक्षकार अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप ऐसी कार्रवाई करने में असमर्थ था।

2.6.5 परामर्श

किसी अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप परामर्शी सेवाओं के तात्विक भाग को निष्पादन करने में असमर्थ हो जाने पर तीस (30) दिन के अंदर पक्षकार विद्यमान परिस्थितियों में किए जाने वाले समुचित उपाय पर सहमत होने की दृष्टि से परस्पर परामर्श करेंगे।

2.7 निलंबन

स्वामी, परामर्शदाताओं के लिए निलंबन की लिखित सूचना द्वारा इसके अधीन परामर्शदाताओं को सभी संदायों को निलंबित कर सकेगा यदि परामर्शदाता इस संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं, जिनके अंतर्गत सेवाओं का पालन भी है, में से किसी बाध्यता का पालन करने में विफल हो जाते हैं, परंतु निलंबन की ऐसी सूचना (i) विफलता की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करेगी; और (ii) निलंबन की ऐसी सूचना के परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त होने के पश्चात 30 (तीस) दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसी विफलता का उपचार करने के लिए परामर्शदाताओं से अनुरोध करेगा और संविदा पालन गारंटी का अवलंब लेगा।

2.8 पर्यवसान

2.8.1 स्वामी द्वारा

स्वामी, इस खंड 2.8.1 के पैरा (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घट जाने के पश्चात परामर्शदाताओं को दी जाने वाली ऐसी सूचना द्वारा पर्यवसान की कम से कम तीस (30) दिन की लिखित सूचना द्वारा {नीचे पैरा (च) में सूचीबद्ध घटना के सिवाय, जिसके लिए कम से कम साठ (60) दिन की लिखित सूचना होगी} इस संविदा को समाप्त कर सकता है:

(क) यदि परामर्शदाता निलंबन की ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीस (30) दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जैसी स्वामी ने लिखित में तत्पश्चात अनुमोदित की हो, इसमें ऊपर खंड 2.7 के अनुसरण में निलंबन की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट इसके अधीन अपनी बाध्यताओं के पालन में विफलता का उपचार करने में असफल रहते हैं;

(ख) यदि परमार्शदाता दिवालिया या शोधन अक्षम हो जाताहै या ऋण के लिए अपने लेनदारों के साथ करार करते हैं या फायदे या देनदारों के लिए किसी विधि का लाभ लेते हैं या परिनिर्धारण रिसीवरशिप चाहे वह अनिवार्य या स्वैच्छिक हों, करते हैं;

(ग) यदि परामर्शदाता इसके खंड–8 के अनुसरण में माध्यस्थम कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप किए गए किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहते हैं;

(घ) यदि परामर्शदाता स्वामी को ऐसा कथन प्रस्तुत करते हैं, जो स्वामी के अधिकारों, बाध्यताओं या हितों पर तात्विक प्रभाव रखता है, और जिसको परामर्शदाता जानते हैं कि वह मिथ्या है;

(ड.) यदि, अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप परामर्शदाता साठ (60) दिन से अन्यून अवधि के लिए सेवा के तात्विक भाग का पालन करने में असमर्थ हैं, या

(च) यदि, परामर्शदाता और/या सहायता संघ भागीदार/उप–परामर्शदाता (यदि लागू हो) भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरणों में लिप्त है या यह पाया जाताहै कि उसने तथ्यों का गलत निर्वचन किया है या मिथ्या जानकारी/प्रलेख उपलब्ध कराए हैं।

(छ) यदि स्वामी, अपने एकमात्र स्वविवेकानुसार और किसी अन्य कारण से, वह जो भी हो, इस संविदा को समाप्त करने का विनिश्चय करता है।

2.8.2 अधिकारों और बाध्यताओं की समाप्ति

इसके खंड 2.81 के अनुसरण में इस संविदा के पर्यवसान पर, या इसके खंड 2.3 के अनुसरण में इस संविदा की समाप्ति पर, इसके अधीन पक्षकारों के सभी अधिकार और बाध्यताएं निम्नलिखित के सिवाय नहीं रहेंगीः

(क) ऐसे अधिकार और बाध्यताएं, जो पर्यवसान या समाप्ति की तारीख को प्रोद्भूत हुई हों;

(ख) इसके खंड 3.2.4 में उपवर्णित गोपनीयता की बाध्यता;

(ग) कोई ऐसा अधिकार, जिसे पक्षकार लागू विधि के अधीन रखता हो।

2.8.3 सेवाओं की समाप्ति

इस खंड 2.8.1 के अनुसरण में सूचना द्वारा इस संविदा के पर्यवसान पर, परामर्शदाता, ऐसी सूचना के तुरंत प्रेषण किए जाने पर या प्राप्त हो जाने पर तत्पर और कश्चित रीति में सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और इस प्रयोजन के लिए व्ययों को न्यूनतम रखने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

2.8.4 पर्यवसान पर संदाय

इसके खंड 2.8.1 के अनुसरण में इस संविदा के पर्यवसान पर स्वामी परामर्शदाताओं को निम्नलिखित संदाय करेगाः

(क) पर्यवसान की प्रभावी तारीख से पूर्ण संतोषप्रदरूप में निष्पादित सेवाओं के लिए इसके खंड–6 के अनुसरण में पारिश्रमिक।

(ख) पर्यवसान की प्रभावी तारीख से पूर्व वास्तविकरूप से उपगत व्ययों के अनुसरण में प्रतिपूर्तिनीय व्यय; और

(ग) इसके खंड 2.8.1 के पैरा (क) से पैरा (घ) के अनुसरण में पर्यवसान की दशा के सिवाय संविदा के तत्पर तथा व्यवस्थित पर्यवसान की आनुषंगिक युक्तियुक्त लागत, जिसके अंतर्गत परामर्शदाताओं के कार्मिकों और उनके पात्र आश्रितों की वापसी यात्रा की लागत है, की प्रतिपूर्ति।

3.0 परामर्शदाताओं की बाध्यताएं

3.1 साधारण

3.1.1 निष्पादन का मानक

परामर्शदाता, सेवाओं का निष्पादन करेंगे और व्यावसायिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक इंजीनियरी और परामर्श मानकों के साथ प्रयुक्त सामान्यतः स्वीकार की गई तकनीकें और पद्धतियों के अनुसार, सम्यक तत्परता, दक्षता और मितव्ययिता के साथ इसके अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन करेंगे और मजबूत प्रबंधन, तकनीकी तथा इंजीनियरी पद्धतियों का पालन करेंगे और समुचित उन्नत प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षित और प्रभावी उपस्कर, मशीनरी, सामग्री और पद्धतियों का उपयोग करेंगे। इस संविदा से या सेवाओं से संबंधित किसी विषय की बाबत परामर्शदाता स्वामी के प्रति निष्ठावान सलाहकार के रूप में सदैव कार्य करेंगे और तृतीय पक्षकार के साथ किसी भी व्यौहार में स्वामी के जायज हितों का हर समय समर्थन और सुरक्षा करेंगे।

3.1.2 विधिशासी सेवाएं

लागू विधि के अनुसार परामर्शदाता सेवाओं का निष्पादन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी साध्य उपाय करेंगे कि परामर्शदाताओं के कार्मिक और अभिकर्ता लागू विधि का अनुपालन करते हैं।

3.1.3 हित का विरोध

परामर्शदाता भावी कार्य के लिए बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए स्वामी के हित को सर्वोच्च बनाए रखेगा और अन्य समनुदेशनों या उनके निगमित हितों के साथ टकराव से पूर्णतया बचेगा।

3.2.1 परामर्शदाताओं द्वारा कमीशनों, छूट आदि का लाभ न प्राप्त करना

परामर्शदाताओं का भुगतान इस संविदा या सेवाओं के संबंध में केवल परामर्शदाता का परिश्रमिक होगा और परामर्शदाता किसी व्यापार, कमीशन, छूट या इस संविदा के या सेवाओं के अनुसरण में क्रियाकलापों के संबंध में या संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं के निर्वहन में वैसे ही किसी भुगतान को अपने ही फायदे के लिए स्वीकार नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाता अपने उत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि उसका कोई कार्मिक और अभिकर्ता ऐसा अतिरिक्त लाभ को प्राप्त न करे ।

3.2.2 परामर्शदाताओं और सहबद्धकारियों का परियोजना में अन्यथा हितबद्ध न होना

परामर्शदाता यह करार करता है कि इस संविदा की अवधि के दौरान और इसके समाप्त हो जाने के पश्चात परामर्शदाता और उनके सहबद्धकारी परियोजना के तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की सेवाओं के परिणामस्वरूप या उनसे प्रत्यक्षतः संबद्ध मामलों, संकर्मों या सेवाओं (परामर्शी सेवाओं से भिन्न) को प्रदान करने से निरर्हित होंगे।

3.2.3 विरोधाभासी गतिविधियों का प्रतिषेध

परामर्शदाता और उनके सहबद्धकारी किसी ऐसे कारोबार या वृत्तिक क्रियाकलापों में सीधे या परोक्ष रूप से संलिप्त नहीं होंगे, जो इस संविदा के अधीन उन्हें समनुदेशित किए गए क्रियाकलापों के विरोध में हों ।

प्रस्तावित समनुदेशन के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु भाड़े पर लिए परामर्शदाता और उनके सहबद्धकारी बाद में उसी परियोजना के आरंभिक समनुदेशन से संबद्ध सेवाओं के लिए निरर्हित होंगे।

ऐसी प्रस्तावित परियोजना की रेटिंग की दशा में, जिसके लिए यह परामर्शक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, परामर्शदाता और उनके सहबद्धकारी न तो इस परियोजना की रेटिंग करेंगे, न ही किसी भी रूप में इस परियोजना की रेटिंग में सहयोजित होंगे।

3.2.4 गोपनीयता

परामर्शदाता और उनमें से कोई भी कार्मिक या तो अवधि के दौरान या इस सविदा के समाप्त हो जाने के पश्चात दो (2) वर्ष के दौरान स्वामी की पूर्व लिखित सहमति के बिना परियोजना, सेवाओं, इस संविदा या स्वामी के कारोबार या कार्यों से संबंधित किसी सांपत्तिक या गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं करेगा।

3.3 परामर्शदाता द्वारा लिए जाने वाला बीमा

परामर्शदाता सभी जोखिमों के विरुद्ध और सभी कवरेजों के लिए जैसे समनुदेशन व्यापक साधारण दायित्व बीमा पर सभी कर्मचारिवृंद के लिए कर्मकार प्रतिकर, नियोजन दायित्व बीमा, जिसके अंतर्गत सभी नुकसान, खर्च और किसी व्यक्ति को हुई क्षति के लिए प्रभार तथा व्यय या ऐसी सेवाओं के कारण, या उनके संबंध में, जो परामर्शी या समनुदेशन पर उनके कर्मचारिवृंद की गलती से उत्पन्न होती है, उद्भूत संपत्ति को नुकसान के विरुद्ध ााध्यता की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त संविदात्मक दायित्व कवरेज भी है, के लिए अपने स्वयं के खर्चे पर समुचित बीमा लेगा और उसे बनाए रखेगा।

3.4 परामर्शदाताओं का दायित्व

इस संविदा के उपबंधों के अनुसार परामर्शी सेवाओं के निष्पादन के लिए (ध्यान रखे यदि

परामर्शदाता एक से अधिक अस्तित्व से मिलकर बना है, तो इसमें इस प्रकार पढ़ने के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए: परामर्शदाता और उनके सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य सेवाओं के निष्पादन के लिए स्वामी के प्रति संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होगा) और निम्नलिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे निष्पादन में परामर्शदाताओं के व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप स्वामी द्वारा उठाई गई किसी हानि के लिए स्वामी के प्रति दायी होंगे

(क) परामर्शदाताओं या उनमें से किसी कार्मिक से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य, उसकी अवहेलना, व्यतिक्रम या चूक या उनके कारण उत्पन्न किसी नुकसानी या क्षति के लिए दायी नहीं होंगे; और

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

(ख) परामर्शदाता ऐसी परिस्थितियों में, जिन पर परामर्शदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं है, द्वारा कारित या उत्पन्न किसी हानि या नुकसान के लिए दायी नहीं होंगे।

3.5 परामर्शदाताओं द्वारा स्वामी की क्षतिपूर्ति

इस संविदा की अवधि के दौरान और उसके पश्चात दोनों ही दशाओं में, परामर्शी सभी हानियों, नुकसान, क्षति, मृत्यु, व्यय, कार्रवाई, कार्यवाही, मांग, लागत और दावा जिनके अंतर्गत परंतु उन तक सीमित नहीं है, स्वामी या किसी तृतीय पक्षकार द्वारा वहन की गई विधिक फीस और व्यय भी हैं, के प्रति वहां पूर्णतः और प्रभावी रूप से क्षतिपूरित रखेगा जहां ऐसी हानि, नुकसान, क्षति या मृत्यु किसी सदोष कार्रवाई, अवहेलना या परामर्शदाताओं या उनमें से किसी भी कार्मिक या अभिकर्ता की संविदा भंग का परिणाम हैं, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिलिप्याधिकार कृति, या साहित्यिक संपत्ति या पेटेंटीकृत आविष्कार, लेख या उपकरण का उपयोग या उसका उल्लंघन भी शामिल है।

3.6 स्वामी के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करने वाली परामर्शदाता की कार्रवाई

परामर्शदाता, सेवाओं के किसी भाग के निष्पादन के लिए कोई उप संविदा नहीं करेगा। तथापि, ऐसी सेवाओं के किसी भाग का पालन करने के लिए परामर्शदाता कार्मिकों की सेवाएं भाड़े पर ले सकता है। परामर्शदाता सेवाओं के किसी भाग का पालन करने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति करने से पूर्व स्वामी या लिखित में पूर्व अनुमोदन, जिसके अंतर्गत ऐसी नियुक्ति का निबंधन और शर्तें भी हैं, प्राप्त करेगा। परामर्शदाता , इस संविदा के अनुसरण में इनके कार्मिकों द्वारा सेवाओं के निष्पादन के लिए पूर्णतः दायी रहेंगें।

3.7 रिपोर्ट की जाने वाली बाध्यताएं

परामर्शदाता, इसके **परिशिष्ट 'ख'** में विनिर्दिष्ट रिपोर्टों एवं दस्तावेजों को प्ररूप और संख्याओं तथा उक्त परिशिष्ट में उपवर्णित समय अवधियों के भीतर, जिसके अंतर्गत स्वामी द्वारा अपेक्षित कोई समर्थनकारी आंकड़ा भी है, स्वामी को प्रस्तुत करेगा।

3.8 परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों का स्वामी की संपत्ति होना

सेवाओं का निष्पादन करने में परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए सभी रेखांक, आरेखण, विनिर्देश, डिजाइन, रिपोर्टों और अन्य दस्तावेज स्वामी की सम्पत्ति बन जाएंगे और उसकी संपत्ति रहेंगे। परामर्शदाता इस संविदा के पर्यवसान या समाप्त हो जाने के अपश्चात ऐसे सभी दस्तावेजों को उनकी विस्तृत सूची सहित स्वामी को परिदत्त करेगा। परामर्शदाता ऐसे दस्तावेजों की एक प्रति रखेगा और उसे स्वामी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इस संविदा से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग नहीं करेगा।

4.0 परामर्शदाता के कार्मिक

4.1 साधारण

परामर्शदाता योग्य और अनुभवी कार्मिक नियोजित करेगा और उन्हें उपबंध कराएगा, जिनकी सेवा देने में जरूरत पड़े ।

4.2 कार्मिकों का वर्णन

(क) विलेख, सहमत कार्य के विवरण, न्यूनतम अर्हताएं परामर्शदाताओं के प्रत्येक कार्मिक की सेवाओं के पालन करने और परामर्शदाता के प्रत्येक कार्मिक की सेवाओं के पालन करने में विनियोजन की प्राक्कलित अवधि **परिशिष्ट-ग** में दी गई हैं।

(ख) यदि इस संविदा के खंड 3.1.1 के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित हो, तो **परिशिष्ट-ग** में उपवर्णित कार्मिकों के विनियोजन की प्राक्कलित अवधियों के संबंध में समायोजन स्वामी को लिखित सूचना द्वारा परामर्शदाताओं द्वारा किए जा सकेंगे, परंतु

(1) ऐसे समायोजन किसी व्यष्टिक के विनियोजन की मूलतः प्राक्कलित अवधि को 10 प्रतिशत या एक सप्ताह से अधिक, जो भी अधिक हो, परिवर्तित नहीं करेंगे, और

(2) ऐसे समायोजनों की समग्रता इस संविदा के अधीन भुगतानों को इस संविदा के खंड 6.2 में उपवर्णित अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होने देगी।

(ग) यदि **परिशिष्ट 'क'** में विनिर्दिष्ट सेवाओं की परिधि से परे अतिरिव्त कार्य की अपेक्षा की जाती है, तो **परिशिष्ट-ग** में उपवर्णित कार्मिकों के विनियोजन की प्राक्कलित अवधि स्वामी और परामर्शदाताओं के बीच लिखित करार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी यदि ऐसी कोई वृद्धि, जैसी करार से बाहर पाई जाए, के सिवाय, इस संविदा के अधीन संदायों को इस संविदा के खंड 6 में उपवर्णित अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होने देगी।

4.3 सहमति के अनुसार कार्मिक

परामर्शदाता इसके द्वारा इस संविदा के अधीन अपने संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसे कार्मिकों को काम पर लगाने का करार करते हैं, जिनके पद और नाम की सूची **परिशिष्ट-ग** में दी गई है।

4.4 कार्मिकों को हटाना और/ या उनका प्रतिस्थापन

(क) जैसा स्वामी अन्यथा करार करें, उसके सिवाय, कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यदि, परामर्शदाताओं के युव्तियुव्त नियंत्रण से परे किसी कारणवश, कार्मिकों में से किसी को बदलना आवश्यक हो जाता है तो परामर्शदाता तुंत समतुल्य या बेहतर योग्यता वाले किसी ऐसे व्यव्ति को प्रतिस्थापन के रूप में उपलब्ध कराएगा, जिसे स्वामी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ख) यदि स्वामी-

(1) यह पाता है कि किसी भी कार्मिक ने कोई गंभीर कदाचार किया है या किसी आपराधिक कार्रवाई करने से आरोपित किया गया है, या

(2) किसी कार्मिक के निष्पादन से असंतुष्ट होने का युक्तियुक्त कारण रखता है, तो परामर्शदाता उसके लिए आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वामी के लिखित अनुरोध पर, अर्हताओं और अनुभव वाले ऐसे व्यक्ति को प्रतिस्थापन के रूप में तुंत उपलब्ध कराएगा, जो स्वामी को स्वीकार्य हो।

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रतिस्थापन के रूप में उपलब्ध कराए गए कोई भी कार्मिक, ऐसे व्यक्ति को लागू पारिश्रमिक की ऐसी दर और कोई प्रतिपूर्तियोग्य व्यय (जिसके अंतर्गत पात्र आश्रितों की संख्या को देय व्यय भी हैं) जिनकी परामर्शदाता ऐसे प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप दावा करने की वांछा करें, स्वामी द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन होगा। जैसा स्वामी अन्यथा करार करे, इसके सिवाय,

(1) परामर्शदाता किसी को हटाने और/या प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न या उनके आनुषंगिक सभी अतिरिक्त यात्रा और अन्य खर्चों को वहन करेंगे।

5.0 स्वामी के दायित्व

5.1 अदायगी

इस संविदा के अधीन परामर्शदाताओं द्वारा निष्पादित सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप स्वामी, परामर्शदाताओं को ऐसे संदाय ऐसी रीति में करेगा, जिसका इस संविदा के खंड-6 द्वारा उपबंध किया गया है ।

5.2 सेवाएं और सुविधाएं

स्वामी, **परिशिष्ट 'ड'** के अधीन सूचीबद्ध सेवाओं और सुविधाओं को परामर्शदाता को प्रभार रहित उपलब्ध कराएगा।

6.0 परामर्शदाताओं को अदायगियां

6.1 भारतीय रुपयों में देय सेवाओं और संविदा की सीमा की कीमत **परिशिष्ट-ड.** में दी गई है।

6.2 संदाय की शर्तें : परामर्शदाता निम्नलिखित रूप में स्वामी को संदाय करेगाः

क्रम सं.	चरण	संदाय
1.	प्रारूप परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने और स्वीकार किए जाने के पश्चात	संविदा मूल्य का 40 प्रतिशत
2.	स्वामी के समाधानप्रद रूप में तकनीकी विनिर्देश (खंड-III) में यथा उल्लिखित सभी परिदान वस्तुओं सहित अंतिम रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने और उसे स्वीकार किए जाने के पश्चात	संविदा का 40 प्रतिशत

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

3.	पारेषण प्रणाली के लिए सफल विकासकर्ता को आरईसीटीपीसीएल द्वारा एलओआई जारी किए जाने के पश्चात और सफल विकासकर्ता के साथ पारेषण सेवा करार हस्ताक्षर किए जाने पर	संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत

6.3 परामर्शदाता उस अवधि, जिसके लिए संदाय की मांग की जाती है, के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य को उपदर्शित करने वाले, मुद्रित बिल फार्मों को फर्म के स्वामी को प्रस्तुत करेगा।

6.4 स्वामी समर्थनकारी दस्तावेजों सहित बिलों के स्वामी द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात तीस (30) दिन के भीतर उपरोक्त संदाय की अनुसूची में ऊपर दिए गए अनुसार परामर्शदाताओं का संदाय करेगा। परंतु यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है और करार किए गए कार्य कार्यक्रम/अनुसूची के अनुसार संदाय को रोक सकता है।

6.5 अंतिम अदायगी इस खंड के अधीन संदाय टीओआर में वर्णित क्रियाकलापों के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के पश्चात ही की जाएगी।

7.0 औचित्य और सदभाव

7.1 सदभाव

इस संविदा के अधीन पक्षकार एक दूसरे के अधिकारों के संबंध में सदभावपूर्वक कार्य करने के लिए और इस संविदा के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय अपनाने के लिए वचनबंध करते हैं।

7.2 संविदा का संचालन

पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि इस संविदा में ऐसी प्रत्येक आकस्मिकता के लिए उपबंध करना अव्यावहारिक है, जो इस संविदा के जीवन के दौरान उत्पन्न हों, और पक्षकार इसके द्वारा यह करार करते हैं कि उनका यह आशय है कि यह संविदा उनके बीच और उनमें से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित रूप से प्रवृत्त होगी और यदि इस संविदा के कार्यकाल के दौरान कोई भी पक्षकार यह विश्वास करता है कि यह संविदा अनूचित रूप से प्रवृत्त हो रही है, तो ऐसी कार्रवाई पर सहमत होने के लिए अपने ऐसे सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग करेगा, जो ऐसे अनौचित्य के कारण या कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक हों, परंतु इस खंड के अनुसरण में किसी कार्रवाई पर सहमत होने में कोई असफलता से इसके खंड 9 के अनुसार माध्यस्थम के अधीन रहते हुए कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा।

8.0 अधिकारिता और लागू विधि

यह करार, जिसके अंतर्गत इस करार से संबंधित सभी विषय भी हैं, तत्समय प्रवृत्त भारत की विधियों (अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा शासित होगा और दिल्ली स्थित भारतीय न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के अध्यधीन होगा।

9.0 विवादों का निपटारा

9.1 सौहार्दपूर्ण समझौता

संविदा में जैसा अन्यथा अन्यत्र उपबंधित है, के सिवाय, यदि इसके पक्षकारों या उनके संबंधित प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों के बीच संविदा के निर्माण, अर्थ, प्रचालन, प्रभाव, निर्वचन या उसके भंग के संबंध में कोई विवाद, मतभेद, प्रश्न या असहमति उत्पन्न होती है, जिसे पक्षकार परस्पर रूप से निपटाने में असमर्थ हैं, तो उसे इसके अधीन यथा उपबंधित माध्यस्थम को निर्दिष्ट किया जाएगाः-

1. माध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ करने की वांछा करने वाला कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को 60 दिन की सूचना देकर माध्यस्थम खंड का अवलंब लेगा।

2. माध्यस्थम का अवलंब लेने वाला पक्षकार माध्यस्थम का सहारा लेने के समय न कि उसके पश्चात माध्यस्थम को निर्दिष्ट किए जाने के लिए दावाशुदा रकम के ब्यौरे सहित विवाद के सभी बिंदुओं को विनिर्दिष्ट करेगा।

3. आरईसीटीपीसीएल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से एकमात्र माध्यस्थम की नियुक्ति करेगा।

4. यह करार किया जाता है कि ऐसा कोई आक्षेप नहीं होगा कि नियुक्त किया गया माध्यस्थम आरईसीटीपीसीएल में इक्विटी धारक हैं या वह आरईसीटीपीसीएल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है।

5. यदि इस प्रकार नियुक्त किए गए मध्यस्थों में से कोई मध्यस्थ मर जाता है, त्यागपत्र दे देता है, अक्षम हो जाता है, या किसी कारणवश कार्यवाहियों से अपने आपको हटा लेता है, तो संबद्ध पक्षकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त वैसी ही रीति में उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त करे। ऐसा व्यक्ति उस प्रक्रम से प्रतिनिर्देश से अग्रसर होगा, जहां उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा है, यदि उसके लिए दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं, अन्यथा, वह नए सिरे से कार्यवाही करेगा।

6. संविदा की यह एक शर्त है कि कोई भी पक्षकार अपने दावों के संबंध में किसी पूर्व निर्देश या वादकालीन हित के लिए हकदार नहीं होगा। पक्षकार यह करार करते हैं कि ऐसे हित के लिए किसी पक्षकार द्वारा किया गया दावा शून्य होगा।

7. मध्यस्थम तर्कसंगत और आख्यापक अधिनिर्णय देगा (देगें) और यह अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

8. माध्यस्थम के पक्षकार उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली फीसों और व्ययों को वहन करेंगे।

9. माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली में होगा।

10. पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध और उनके कोई कानूनी उपांतरण या पुनः अधिनियमन इस खंड के अधीन माध्यस्थम कार्यवाही पर लागू होगा।

9.2 केवल नई दिल्ली के कार्यालयों को इस संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के संबंध में अनन्य अधिकारिता होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इसके पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित तारीख को इस संविदा पर अपने-अपने नाम में हस्ताक्षर किए।

(स्वामी) के लिए और उनकी ओर से

---------- द्वारा

प्राधिकृत प्रतिनिधि

(परामर्शदाता) के लिए और उनकी ओर से

---------- द्वारा

प्राधिकृत प्रतिनिधि

स्थान :

तारीख :

संलग्न : कार्य आदेश संख्या ..... तारीख ..... के पत्र की प्रति।

परिशिष्ट-क

कार्य क्षेत्र का वर्णन/ निर्देश निबंधन (टीओआर)

[प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तृत वर्णन; विभिन्न कार्यों को पूरा करने की तारीख, विभिन्न कार्यों के लिए निष्पादन का स्थान; स्वामी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों आदि का उल्लेख करें।]

रिपोर्ट की अपेक्षाएं

परामर्शदाता और उनके मुख्य कार्मिक

डशीर्षक (और नाम यदि पहले से ही उपलब्ध हें), विस्तृत कार्य वर्णन और कार्य को समनुदेशित किए जाने वाले मुख्य कार्मिकों की न्यूनतम अर्हताएं और प्रत्येक के लिए श्रमदिवसों का उल्लेख करेंढ।

स्वामी के कर्त्तव्य

परामर्शदाताओं को समनुदेशनों को पूरा करने के लिए अपने इंतजाम करने होंगे और इस संबंध में स्वामी का कोई कर्त्तव्य/ उत्तरदायित्व नहीं होगा।

स्वामी संदाय के निबंधनानुसार संदाय करेगा।

परिशिष्ट-ड.

(सेवाओं की लागत)

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना

अनुबंध-3

बैंक गारंटी प्रपत्र
बोली गारंटी के लिए

यह गारंटी विलेख ..... (बैंक का नाम), जिसकी एक शाखा ..... में स्थित है, के द्वारा उसके प्रबंधक (जिसे इसमें इसके पश्चात बैंक कहा गया है), के माध्यम से कार्य करते हुए जिसके अंतर्गत जहां कंही संदर्भ ऐसी अपेक्षा करे, इसके उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी, शामिल होंगे । आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे इसमें इसके पश्चात "आरईसीटीपीसीएल" कहा गया है) और जिसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, के पक्ष में आज तारीख ..... को किया गया।

आरईसी टीपीसीएल ने ..... को खोले जाने वाली अपनी निविदा सूचना संख्या ..... तारीख ..... द्वारा निविदा आमंत्रित की है और मैसर्स ..... (निविदाकार का नाम) जिसका कार्यालय ..... में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात "निविदाकार" कहा गया है) ने निविदा में यथा अंतर्विष्ट ..... का प्रदाय करने/ कार्य करने के लिए पूर्वोक्त निविदा सूचना के उत्तर में करने की प्रस्थापना की है।

और, हमने ..... (बैंक का नाम) निविदाकर्ता के अनुरोध पर रूपए..... (शब्दों में .....) बयाने की रकम के रूप में आरईसीटीपीसीएल को देने का करार किया है।

अतः, अब, वचनों के परिणामतः, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा यह प्रसंविदा करते हैं कि पूर्वोक्त निविदा, इस निविदा में यथाउल्लिखित वैधता या उसके किसी विस्तार के दौरान आरईसीटीपीसीएल द्वारा स्वीकृति के लिए ख्द्याली रहेगी जैसा आरईसीटीपीसीएल और निविदाकर्ता बाद में सहमत हों, और यदि निविदाकार किसी कारणवश अपने उक्त निविदा से उसकी वैधता की अवधि या उसके यथापूर्वोक्त किसी विस्तार के दौरान अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से मुकर जाता है या पूर्वोक्त निविदा के निबंधनानुसार पालनार्थ बैंक गारंटी देने में असफल रहता है, तो हम इसके द्वारा ..... रुपए (केवल ..... रुपए) की सीमा तक बिना डेमर, मांग किए जाने पर आरईसीटीपीसीएल, नई दिल्ली को भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम निम्नलिखित रूप में यह और करार करते है

01 आरईसीटीपीसीएल इस गारंटी पर प्रभाव डाले बिना उक्त निविदा की वैधता की अवधि को बढ़ा सकता है या उक्त निविदा में अंतर्विष्ट शर्तों के संबंध में निविदाकार को अन्य अनुग्रह प्रदान कर सकता है या उसके साथ और बातचीत कर सकता है या उसके द्वारा इस शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उनके किसी ऐसी अतिरिक्त शर्तों को जोड़ सकता है, जो आरईसीटीपीसीएल और निविदाकार के बीच तय पाई जाएं और उक्त बैंक आरईसीटीपीसीएल द्वारा पूर्वोक्त मामले के प्रति निर्देश से अपने दायित्व का प्रयोग करके इन विलेखों के अधीन अपने दायित्व से या निविदाकार को तत्समय दिए जाने वाले दायित्व या किसी अन्य प्रविरति, आरईसीटीपीसीएल की ओर से किसी कार्य या चूक या उक्त निविदाकार को आरईसीटीपीसीएल द्वारा किसी अनुग्रह या किसी अन्य विषय या बात, जो भी हो, से मुक्त नहीं करेगी।

02 बैंक इस गारंटी के निबंधनों से संगत किसी भी समय सभी अधिकार इसके द्वारा अधित्यजित करता है और उनके निबंधनानुसार बैंक की बाध्यताएं किसी विवाद के कारण या निविदाकार द्वारा विवाद खड़ा किए जाने पर (चाहे वह किसी मध्यस्थ, अधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित हो) या उसके निबंधनानुसार आरईसीटीपीसीएल को बैंक द्वारा किसी संदाय को रोक कर निविदाकार द्वारा दायित्व के किसी कारण अन्यथा प्रभावित या निलंबित नहीं की जाएंगी।

03 अंत में, हम उक्त बैंक लिखित में इस गारंटी को इसके चालू रहने के दौरान आरईसीटीपीसीएल की पूर्व सहमति के बिना प्रतिसंहृत न करने का वचनबंध करते हैं और यह करार करते हैं कि गठन में किसी परिवर्तन में कोई तबदीली, परिसमापन, विघटन या निविदाकार के दिवालिया होने से उक्त बैंक को उनके दायित्व से उन्मोचित नहीं करेंगे।

ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस गारंटी की बाबत बैंक का दायित्व .....रु. (केवल ..... रुपए) की उक्त राशि तक सीमित है और यह गारंटी ..... तक तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस गारंटी के अधीन कोई दावा यथास्थिति इस तारीख या विस्तारित तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर बैंक के पास ..... तक फाइल नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के अधीन सभी अधिकार व्यपगत हो जाएंगे और बैंक इसके अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आज तारीख ..... को अपने हस्ताक्षर किए और मुहर लगाई

साक्षी सं. 1

---------- ----------

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

पूरा नाम और कार्यालय का पता पूरा नाम, पदनाम और पता

(स्पष्ट अक्षरों में) (स्पष्ट अक्षरों में)

मुखतारनामा संख्या .....दिनांक .....

के अनुसार मुखतारनामा

साक्षी सं. 2

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम और कार्यालय का पता

(स्पष्ट अक्षरों में)

मुखतारनामा संख्या .....दिनांक ..... के अनुसार मुखतारनामा

@यह तारीख उस अंतिम तारीख के पश्चात जिसके लिए बोली वैध है, तीस (30) दिन होगी।